



Vision for Health Welfare and Special Needs

Disability Resource Manual

दिव्यांगता संसाधन पुस्तिका

Developed by VISHWAS

in collaboration with

Department of Inclusive Education, Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad (HSSPP)

Preface

This flip book is an effort to make available the essential information related to all 21-disabilities listed under the Rights of Persons with Disability Act 2016, National Education Policy 2020 and Rights and Entitlements of Persons with Disabilities on a single platform.

This document gives a comprehensive understanding of disabilities and the challenges associated with them. This book can be used as a resource material for training of ASHA and Anganwadi workers, regular teachers and parents.

This manual should help in spreading awareness and getting right information related to Persons with Disabilities and make them part of mainstream development.

Team VISHWAS
November 2020

प्रस्तावना

यह पुस्तिका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताएँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं दिव्यांगजनों से संबन्धित योजनाओं एवं नीतियों को एक ही मंच पर उपलब्ध करने का प्रयास है।

यह दस्तावेज दिव्यांगजन और उनसे जुड़ी चुनौतियों की एक व्यापक समझ देता है। इस पुस्तिका का उपयोग आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों एवं अभिभावकों के प्रशिक्षण हेतु एक संसाधन सामग्री के तौर पर किया जा सकता है।

यह संसाधन पुस्तिका दिव्यांगजनों से संबन्धित सटीक जानकारी को प्राप्त करने एवं उनको विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए जागरूक करेगी।

टीम विश्वास
नवम्बर 2020

Contents

- Highlights of Rights of Persons with Disabilities act 2016
- 21 types of Disabilities along with their brief description
- Highlights of National Education Policy 2020 with specific focus on Inclusive Education
- Schemes and Policies for Persons with Disabilities

विषय - सूची

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के मुख्य बिन्दु ।
- 21 प्रकार की दिव्यांगताएँ, उनके संक्षिप्त विवरण ।
- समावेशी शिक्षा पर बल देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिन्दु ।
- दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध योजनाएँ व नीतियाँ ।



The Rights of Persons With Disabilities Act 2016

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016

THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT 2016

An Act to give effect to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and for matters connected therewith or incidental thereto.

This Act may be called **“The Rights of Persons with Disabilities Act 2016”**.

Definitions

“Discrimination” in relation to disability, means any distinction, exclusion, restriction on the basis of disability which is the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field and includes all forms of discrimination and denial of reasonable accommodation.

“High support” means an intensive support, physical, psychological and otherwise, which may be required by a person with benchmark disability for daily activities, to take independent and informed decision to access facilities and participating in all areas of life including education, employment, family and community life and treatment and therapy.

“Person with benchmark disability” means a person with not less than forty percent of a specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority.

“Person with disability” means a person with long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others.

“Person with disability having high support needs” means a person with benchmark disability certified under clause (a) of sub-section (2) of section 58 who needs high support.

“Rehabilitation” refers to a process aimed at enabling persons with disabilities to attain and maintain optimal physical, sensory, intellectual, psychological environmental or social function levels.

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016

दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक विषयों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **“दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016”** है।

परिभाषाएँ:-

“विभेद” से दिव्यांगता के आधार पर कोई विभेद, अपवर्जन, निर्बंधन अभिप्रेत है जो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल या किसी अन्य क्षेत्र में सभी मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं के संबंध में अन्य व्यक्तियों के साथ किसी सामान्य आधार पर मान्यता, उपभोग या प्रयोग हासिल करने या अकृत करने का प्रयोजन या प्रभाव है और जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के विभेद और युक्तियुक्त संविधाओं का प्रत्याख्यान भी है।

“उच्च सहायता” से शारीरिक, मानसिक और अन्यथा ऐसी गहन सहायता अभिप्रेत है जो दैनिक क्रियाकलाप के लिए संदर्भित दिव्यांगजन द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में जिसके अंतर्गत शिक्षा, नियोजन, कुटुंब और सामुदायिक जीवन और व्यवहार तथा रोगोपचार भी है। पहुँच संविधाएँ और भागीदारी के लिए स्वतन्त्र और बुद्धिमान विनिश्चय लेने के लिए अपेक्षित हो सकेगी।

“संदर्भित दिव्यांगजन” से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत, विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के चालीस प्रतिशत से अन्यून का व्यक्ति अभिप्रेत है, जहाँ विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अधुपायी निबंधनों में परिभाषित नहीं की गई है और इसमें ऐसा दिव्यांगजन भी सम्मिलित है जहाँ विनिर्दिष्ट दिव्यांगता प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणीकृत अधुपायी निबंधनों में परिभाषित की गई है।

“दिव्यांगजन” से ऐसी दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे बाधाओं का सामना करने में अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी उत्पन्न होता है।

“उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाला दिव्यांगजन” से धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रमाणित संदर्भित दिव्यांगजन अभिप्रेत है जिसे उच्च सहायता की आवयकता है।

“पुनर्वास” से दिव्यांगजनों को अनुकूलतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या सामाजिक कार्य के स्तरों को प्राप्त करने और उनको बनाए रखने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट है।

RIGHTS AND ENTITLEMENTS

- Equality and non-discrimination.
- Women and children with disabilities.
- Community life.
- Protection from cruelty and inhuman treatment.
- Protection from abuse, violence and exploitation.
- Protection and safety.
- Home and family.
- Reproductive rights.
- Accessibility in voting.
- Access to justice.
- Legal capacity.
- Provision for guardianship.
- Designation of authorities to support.

EDUCATION

- Duty of educational institutions.
- Specific measures to promote and facilitate inclusive education.
- Adult education.

SKILL DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT

- Vocational training and self-employment.
- Non-discrimination in employment.
- Equal opportunity policy.
- Maintenance of records.
- Appointment of Grievance Redressal Officer.

अधिकार और हकदारियाँ

- समता और अविभेद
- दिव्यांग महिला और बालक
- सामुदायिक जीवन
- क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षा
- दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण
- संरक्षण और सुरक्षा
- गृह और कुटुंब
- प्रजनन अधिकार
- मतदान में पहुँच
- न्याय तक पहुँच
- विधिक सामर्थ्य
- संरक्षता के लिए उपबंध
- सहायता के लिए प्राधिकारियों के पदाभिधान

शिक्षा

- शिक्षण संस्थानों का कर्तव्य
- सम्मिलित शिक्षा को संवर्धित करने और सुकर बनाने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय
- प्रौढ़ शिक्षा

कौशल विकास और नियोजन

- व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन
- नियोजन में विभेद न करना
- समान अवसर नीति
- अभिलेखों का रखा जाना
- शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति

SOCIAL SECURITY, HEALTH, REHABILITATION AND RECREATION

- Social security.
- Healthcare.
- Insurance schemes.
- Rehabilitation.
- Research and development.
- Culture and recreation.
- Sporting activities.

SPECIAL PROVISIONS FOR PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITIES

- Free education for children with benchmark disabilities.
- Reservation in higher educational institutions.
- Identification of posts for reservation.
- Reservation.
- Incentives to employers in private sector.
- Special employment exchange.
- Special schemes and development programmes.

SPECIAL PROVISIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES WITH HIGH SUPPORT NEEDS

- Special provisions for persons with disabilities with high support.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF APPROPRIATE GOVERNMENTS

- Awareness campaigns.
- Accessibility.
- Access to transport.
- Access to information and communication technology.
- Consumer goods.
- Mandatory observance of accessibility norms.
- Time limit for making existing infrastructure and premises accessible and action for that purpose.
- Time limit for accessibility by service providers.
- Human resource development.
- Social audit.

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद-प्रमोद

- सामाजिक सुरक्षा
- स्वास्थ्य देख-रेख
- बीमा स्कीमें
- पुनर्वास
- अनुसंधान और विकास
- संस्कृति और अमोद-प्रमोद
- खेलकूद गतिविधियाँ

संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध

- संदर्भित दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा
- उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण
- आरक्षण के लिए पदों की पहचान
- आरक्षण
- प्राईवेट सेक्टर में नियोजकों को प्रोत्साहन
- विशेष रोजगार कार्यालय
- विशेष स्कीमें और विकास कार्यक्रम

उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध

- उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध

समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

- जागरूकता अभियान
- सुगम पहुँच
- परिवहन तक पहुँच
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुँच
- उपभोक्ता वस्तु
- पहुँच सन्निधियों का आज्ञापक रूप से अनुपालन
- विद्यमान अवसंरचना और सुगम्य परिसर बनाने के लिए समय सीमा तथा उस प्रयोजन के लिए कदम
- सेवा प्रदाताओं द्वारा पहुँच के लिए समय सीमा
- मानव संसाधन विकास
- सामाजिक लेखा परीक्षा

REGISTRATION OF INSTITUTIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES AND GRANTS TO SUCH INSTITUTIONS

- Competent authority will be appointed
- Registration
- Application and grant of certificate of registration
- Revocation of registration
- Appeal
- Act not to apply to institutions established or maintained by Central or State Government
- Assistance to registered institutions.

CERTIFICATION OF SPECIFIED DISABILITIES

- Guidelines for assessment of specified disabilities
- Designation of certifying authorities
- Procedure for certification
- Appeal against a decision of certifying authority

CENTRAL AND STATE ADVISORY BOARDS ON DISABILITY AND DISTRICT LEVEL COMMITTEE

- Constitution of Central Advisory Board on Disability
- Terms and conditions of service of members
- Disqualifications
- Vacation of seats by Members
- Meetings of the Central Advisory Board on disability
- Functions of Central Advisory Board on disability
- State Advisory Board on disability
- Terms and conditions of service of Members
- Disqualification
- Vacation of seats
- Meetings of State Advisory Board on disability
- Functions of State Advisory Board on disability
- District-level Committee on disability
- Vacancies not to invalidate proceedings

दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का पंजीकरण और ऐसी संस्थाओं को अनुदान

- सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की जायेगी
- पंजीकरण
- आवेदन और पंजीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी
- पंजीकरण का प्रतिसंहरण
- अपील
- अधिनियम का केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अनुरक्षित संस्थानों को लागू न होना
- पंजीकृत संस्थाओं को सहायता

विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं का प्रमाणन

- विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त
- प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के पदाभिधान
- प्रमाणन की प्रक्रिया
- प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील

केन्द्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर समिति

- केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड का गठन
- सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें
- निरर्हता
- सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति
- केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठकें
- केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के कृत्य
- राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड
- सदस्यों की सेवा के निबंध और शर्तें
- निरर्हता
- स्थानों का रिक्त होना
- राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठकें
- राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के कृत्य
- जिला स्तर दिव्यांगता समिति
- रिक्तियों से कार्यवाहियों के अविधिमान्य न होना

CHIEF COMMISSIONER AND STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

- Appointment of Chief Commissioner and Commissioners.
- Functions of Chief Commissioner.
- Action of appropriate authorities on recommendation of Chief Commissioner.
- Powers of Chief Commissioner.
- Annual and special reports by Chief Commissioner.
- Appointment of State Commissioner in States.
- Functions of State Commissioner.
- Action by appropriate authorities on recommendation of State Commissioner.
- Powers of State Commissioner.
- Annual and special reports by State Commissioner.

SPECIAL COURT

- Special Court.
- Special Public Prosecutor.

NATIONAL FUND FOR PERSONS WITH DISABILITIES

- National Fund for persons with disabilities.
- Accounts and audit.

STATE FUND FOR PERSONS WITH DISABILITIES

- State Fund for persons with disabilities.

OFFENCES AND PENALTIES

- Punishment for contravention of provisions of Act or rules or regulations made thereunder.
- Offences by companies.
- Punishment for fraudulently availing any benefit meant for persons with benchmark disabilities.
- Punishment for offences of atrocities.
- Punishment for failure to furnish information.
- Previous sanction of appropriate Government.
- Alternative punishments.

दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त

- मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति
- मुख्य आयुक्त के कृत्य
- मुख्य आयुक्त की सिफारिश पर समुचित प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाई
- मुख्य आयुक्त की शक्तियाँ
- मुख्य आयुक्त द्वारा वार्षिक और विशेष रिपोर्ट
- राज्यों में राज्य आयुक्त की नियुक्ति
- राज्य आयुक्त के कृत्य
- राज्य आयुक्त की सिफारिश पर समुचित प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाई
- राज्य आयुक्त की शक्तियाँ
- राज्य आयुक्त द्वारा वार्षिक और विशेष रिपोर्ट

विशेष न्यायालय

- विशेष न्यायालय
- विशेष लोक अभियोजक

दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि

- दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि
- लेखा और संपरीक्षा

दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि

- दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि

अपराध और शास्तियाँ

- अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड
- कंपनियों द्वारा अपराध
- संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आशयित किसी फायदे को कपटपूर्वक लेने के लिए दंड
- अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड
- जानकारी प्राप्त करने में असफल रहने के लिए दण्ड
- समुचित सरकार का पूर्वानुमोदन
- अनुकल्पी दंड

MISCELLANEOUS

- Application of other laws not barred.
- Protection of action taken in good faith.
- Power to remove difficulties.
- Power to amend Schedule.
- Power of Central Government to make rules.
- Power of State Government to make rules.
- Repeal and savings.

SPECIFIED DISABILITIES

- 1 Blindness
- 2 Low-vision
- 3 Intellectual disability
- 4 Mental illness
- 5 Hearing impairment
- 6 Parkinson's disease
- 7 Acid attack victims
- 8 Haemophilia
- 9 Sickle cell disease
- 10 Thalassemia
- 11 Chronic neurological conditions
- 12 Autism spectrum disorder
- 13 Multiple sclerosis
- 14 Speech and language disability
- 15 Multiple Disabilities
- 16 Leprosy cured person
- 17 Dwarfism
- 18 Locomotor disability
- 19 Cerebral palsy
- 20 Muscular dystrophy
- 21 Specific learning Disability

प्रकीर्ण

- अन्य विधियों का लागू होना, वर्जित न होना
- सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाई के लिए संरक्षण
- कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति
- अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति
- केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति
- राज्य सरकार की नियम बनाने के शक्ति
- निरसन और व्यावृत्ति

विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएँ

- 1 अंधता
- 2 निम्न दृष्टि
- 3 बौद्धिक दिव्यांगता
- 4 मानसिक रुग्णता
- 5 श्रवण शक्ति का हास
- 6 पार्किन्सन रोग
- 7 तेजाबी आक्रमण पीड़ित
- 8 हेमोफीलिया
- 9 सिक्कल कोशिका रोग
- 10 थैलेसीमिया
- 11 चिरकारी तंत्रिका दशाएँ
- 12 स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार
- 13 बहु स्वलेरोसिस
- 14 वाक् एवं भाषा दिव्यांगता
- 15 बहु दिव्यांगता
- 16 कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति
- 17 बौनापन
- 18 गतिविषयक दिव्यांगता
- 19 प्रमस्तिष्क पक्षाघात
- 20 पेशीय दुषपोषण
- 21 विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता

EDUCATION

- Duty of educational institutions.—The appropriate Government and the local authorities shall endeavour that all educational institutions funded or recognised by them provide inclusive education to the children with disabilities and towards that end shall—
 - Admit them without discrimination and provide education and opportunities for sports and recreation activities equally with others;
 - Make building, campus and various facilities accessible
 - Provide reasonable accommodation according to the individual's requirements;
 - Provide necessary support individualised or otherwise in environments that maximise academic and social development consistent with the goal of full inclusion;
 - Ensure that the education to persons who are blind or deaf or both is imparted in the most appropriate languages and modes and means of communication;
 - Detect specific learning disabilities in children at the earliest and take suitable pedagogical and other measures to overcome them;
 - Monitor participation, progress in terms of attainment levels and completion of education in respect of every student with disability;
 - Provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs.
- **Specific measures to promote and facilitate inclusive education.—**

The appropriate Government and the local authorities shall take the following measures for the purpose of section 16, namely:—

- To conduct survey of school going children in every five years for identifying children with disabilities, ascertaining their special needs and the extent to which these are being met: Provided that the first survey shall be conducted within a period of two years from the date of commencement of this Act;
- To establish adequate number of teacher training institutions.

शिक्षा

- **शिक्षण संस्थानों का कर्तव्य** समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी वित्तपोषित या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं दिव्यांग बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करें और इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करेंगी।
 - उन्हें बिना किसी विभेद के प्रवेश देना और अन्य व्यक्तियों के समान खेल और अमोद—प्रमोद गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना
 - भवन, परिसर और विभिन्न सुविधाओं तक पहुँच बनाना
 - व्यक्तिगत अपेक्षाओं के अनुसार युक्तियुक्त वास सुविधा प्रदान करना
 - ऐसे वातावरण जो पूर्ण समावेशन के ध्येय के संगत शैक्षणिक और सामाजिक विकास को उच्चतम सीमा तक बढ़ाते हैं, व्यक्तिपरक या अन्यथा आवश्यक सहायता प्रदान करना
 - यह सुनिश्चित करना कि ऐसे व्यक्ति को, जो अंधा या बधिर या दोनों हैं, संसूचना की समुचित भाषाओं और रीतियों तथा साधनों में शिक्षा प्रदान करना
 - बालकों में विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं का शीघ्रतम पता लगाना और उन पर काबू पाने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना
 - प्रत्येक दिव्यांग छात्र के संबंध में शिक्षा के प्राप्ति स्तरों और पूर्णता के रूप में उसकी भागीदारी, प्रगति को मॉनीटर करना
 - दिव्यांग बालकों और उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग बालकों के परिचर के लिए भी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना
- **सम्मिलित शिक्षा को संबर्धित करने और सुकर बनाने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय**
समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी धारा 16 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे, अर्थात्
 - दिव्यांग बालकों की पहचान करने के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं को अभिनिश्चित करने और उस परिणाम के संबंध में जहाँ तक उन्हें पूरा कर लिया गया है, स्कूल जाने वाले बालकों के लिए हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना परन्तु पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रारम्भ तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर किया जायेगा
 - पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना

- To train and employ teachers, including teachers with disability who are qualified in sign language and Braille and also teachers who are trained in teaching children with intellectual disability;
 - To train professionals and staff to support inclusive education at all levels of school education;
 - To establish adequate number of resource centres to support educational institutions at all levels of school education;
 - To promote the use of appropriate augmentative and alternative modes including means and formats of communication, Braille and sign language to supplement the use of one's own speech to fulfil the daily communication needs of persons with speech, communication or language disabilities and enables them to participate and contribute to their community and society;
 - To provide books, other learning materials and appropriate assistive devices to students with benchmark disabilities free of cost up to the age of eighteen years;
 - To provide scholarships in appropriate cases to students with benchmark disability;
 - To make suitable modifications in the curriculum and examination system to meet the needs of students with disabilities such as extra time for completion of examination paper, facility of scribe or amanuensis, exemption from second and third language courses;
 - To promote research to improve learning
 - Any other measures, as may be required.
- **Adult education.**—The appropriate Government and the local authorities shall take measures to promote, protect and ensure participation of persons with disabilities in adult education and continuing education programmes equally with others.

- शिक्षकों को, जिसके अंतर्गत दिव्यांग अध्यापक भी हैं, जो सांकेतिक भाषा और ब्रेल में अर्हित हैं और ऐसे शिक्षकों को भी, जो बौद्धिक रूप में दिव्यांग बालकों के अध्यापन में प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षित और नियोजित करना
 - स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सम्मिलित शिक्षा में सहायता करने के लिए वृत्तिकों और कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षित करना
 - स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षणिक संस्थाओं की सहायता के लिए संसाधन केन्द्रों को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना
 - वाक् शक्ति, संप्रेषण या भाषा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के दैनिक संप्रेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी की स्वयं की वाक् शक्ति के उपयोग की अनुपूर्ति के लिए संप्रेषण, ब्रेल और सांकेतिक भाषा के साधनों और रूपविधानों सहित समुचित सम्बंधी और अनुकल्पी पद्धतियों के प्रयोग का संवर्धन करना
 - संदर्भित दिव्यांग छात्रों को 18 वर्ष की आयु तक पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ निःशुल्क उपलब्ध कराना
 - संदर्भित दिव्यांग छात्रों के समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करना
 - दिव्यांग छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त उपांतरण करना जैसे परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अधिक समय, एक लिपिक या लेखक की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट
 - विद्या में सुधार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना
 - कोई अन्य उपाय, जो अपेक्षित हों
- **प्रौढ़ शिक्षा** – समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी प्रौढ़ शिक्षा में दिव्यांगजनों की भागीदारी को संबर्धित, संरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए और अन्य व्यक्तियों के समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने के लिए उपाय करेंगे।

SKILL DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT

➤ Vocational training and self-employment.—

- The appropriate Government shall formulate schemes and programmes including provision of loans at concessional rates to facilitate and support employment of persons with disabilities especially for their vocational training and self-employment.

The schemes and programmes referred to in sub-section (1) shall provide for—

- (a) Inclusion of person with disability in all mainstream formal and non-formal vocational and skill training schemes and programmes;
- (b) To ensure that a person with disability has adequate support and facilities to avail specific training;
- (c) Exclusive skill training programmes for persons with disabilities with active links with the market, for those with developmental, intellectual, multiple disabilities and autism;
- (d) Loans at concessional rates including that of microcredit;
- (e) Marketing the products made by persons with disabilities; and
- (f) Maintenance of disaggregated data on the progress made in the skill training and selfemployment, including persons with disabilities.

➤ Non-discrimination in employment.—

- No Government establishment shall discriminate against any person with disability in any matter relating to employment: Provided that the appropriate Government may, having regard to the type of work carried on in any establishment, by notification and subject to such conditions, if any, exempt any establishment from the provisions of this section.
- Every Government establishment shall provide reasonable accommodation and appropriate barrier free and conducive environment to employees with disability.
- No promotion shall be denied to a person merely on the ground of disability.

कौशल विकास और नियोजन

➤ व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन

समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए नियोजन, विशेषकर उनके व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन को सुकर बनाने और सहायता करने के लिए, जिसके अंतर्गत रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना भी है, स्कीम और कार्यक्रम बनाएगी।

उपधारा 1 में निर्दिष्ट स्कीमों और कार्यक्रमों में निम्नलिखित उपबंध होंगे—

- क) सभी मुख्य धारा के औपचारिक और गैर-औपचारिक वृत्तिक और कौशल प्रशिक्षण स्कीम और कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया जाना
- ख) यह सुनिश्चित करना कि किसी दिव्यांगजन को विनिर्दिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सहायता और सुविधाएं प्राप्त हैं
- ग) ऐसे दिव्यांगजनों के लिए जो विकासात्मक, बौद्धिक, बहु दिव्यांगता स्वपरायणता वाले हैं, अन्नय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना, जिनका प्रभावी संयोजन बाजार के साथ हो
- घ) रियायती दर पर ऋण, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म उधार भी है
- ङ) दिव्यांगजनों द्वारा बनाये गए उत्पादकों का विपणन, और
- च) कौशल प्रशिक्षण और स्वनियोजन में की गई प्रगति पर असंकलित डेटा बनाए रखना जिसके अंतर्गत दिव्यांगजन भी हैं।

➤ नियोजन में विभेद न करना —

- कोई भी सरकारी स्थापन नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी दिव्यांगजन के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा, परन्तु समुचित सरकार किसी स्थापन में किये जाने वाले कार्यों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए यदि कोई हों, इस धारा के उपबंधों से किसी स्थापन को छूट प्रदान कर सकेगी।
- प्रत्येक सरकारी स्थापन दिव्यांग कर्मचारियों को युक्तियुक्त आवासन और समुचित अवरोध मुक्त तथा सहायक वातावरण उपलब्ध करायेगा।
- केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति की प्रोन्नति रोकੀ नहीं जायेगी।

- No Government establishment shall dispense with or reduce in rank, an employee who acquires a disability during his or her service: Provided that, if an employee after acquiring disability is not suitable for the post he was holding, shall be shifted to some other post with the same pay scale and service benefits: Provided further that if it is not possible to adjust the employee against any post, he may be kept on a supernumerary post until a suitable post is available or he attains the age of superannuation, whichever is earlier.
- The appropriate Government may frame policies for posting and transfer of employees with disabilities.
- **Equal opportunity policy.**
- Every establishment shall notify equal opportunity policy detailing measures proposed to be taken by it in pursuance of the provisions of this Chapter in the manner as may be prescribed by the Central Government.
- Every establishment shall register a copy of the said policy with the Chief Commissioner or the State Commissioner, as the case may be.
- **Maintenance of records.**
- Every establishment shall maintain records of the persons with disabilities in relation to the matter of employment, facilities provided and other necessary information in compliance with the provisions of this Chapter in such form and manner as may be prescribed by the Central Government.
- Every employment exchange shall maintain records of persons with disabilities seeking employment.
- The records maintained under sub-section (1) shall be open to inspection at all reasonable hours by such persons as may be authorised in their behalf by the appropriate Government.
- **Appointment of Grievance Redressal Officer.**
- Every Government establishment shall appoint a Grievance Redressal Officer for the purpose of section 19 and shall inform the Chief Commissioner or the State Commissioner, as the case may be, about the appointment of such officer.

- कोई सरकारी स्थापन, किसी ऐसे कर्मचारी को, जो अपनी सेवा के दौरान कोई दिव्यांग होता है उसे अभिमुक्त या उसके रैंक में कमी नहीं करेगा। परन्तु यदि कोई कर्मचारी, दिव्यांग होने के पश्चात् उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता जिसे वह धारित करता है तो उसे समान वेतनमान और सेवा के फायदों के साथ पद पर स्थानान्तरित किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कर्मचारी को किसी अन्य पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो वह उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक इनमें से जो पूर्ववृत्ती हो, किसी अधिसंख्या पद पर रखा जा सकेगा।
- समुचित सरकार दिव्यांग कर्मचारियों की तैनाती और स्थानान्तरण के लिए नीति बना सकेगी।
- **समान अवसर नीति**
- प्रत्येक स्थापन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित समान अवसर नीति से संबंधित उपायों को ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अधिसूचित करेगा।
- प्रत्येक स्थापन, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के पास उक्त नीति की एक प्रति पंजीकृत करेगा।
- **अभिलेखों का रखा जाना**
- प्रत्येक स्थापन, इस अध्याय के उपबंधों के अनुपालन में उपलब्ध कराये गए नियोजन, सुविधाओं के मामलों के संबंध में दिव्यांग व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा और अन्य आवश्यक जानकारी ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, रखेगा।
- प्रत्येक रोजगार कार्यालय रोजगार चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा।
- उपधारा 1 के अधीन रखे गए अभिलेख, ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो समुचित सरकार द्वारा उनके निमित्त प्राधिकृत किये जाएँ सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
- **शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति**
- प्रत्येक सरकारी स्थापन, धारा 19 के प्रयोजन के लिए एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्ति करेगा और यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को ऐसे अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचना देगा।

- Any person aggrieved with the non-compliance of the provisions of section 20, may file a complaint with the Grievance Redressal Officer, who shall investigate it and shall take up the matter with the establishment for corrective action.
- The Grievance Redressal Officer shall maintain a register of complaints in the manner as may be prescribed by the Central Government, and every complaint shall be inquired within two weeks of its registration.
- If the aggrieved person is not satisfied with the action taken on his or her complaint, he or she may approach the District-Level Committee on disability.

- धारा 20 के उपबंधों के अनुपालन से व्यथित कोई व्यक्ति शिकायत प्रतितोष अधिकारी को शिकायत फाइल कर सकेगा जो उसका अन्वेषण करेगा और सुधार कार्यवाही के लिए स्थापन से मामले को विचार में लेगा।
- शिकायत प्रतितोष अधिकारी को शिकायतों का एक रजिस्टर ऐसी रीति में रखेगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और प्रत्येक शिकायत की, इसके रजिस्टरकरण के दो सप्ताह के भीतर जाँच की जाएगी।
- यदि व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई से समाधान नहीं होता है तो वह जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति के पास जा सकेगा।



21 Types Of Disabilities Brief Description

21 प्रकार की दिव्यांगताएँ संक्षिप्त विवरण

1. Blindness

“Blindness” means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

Total absence of sight; or

visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or

Limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree

Related to Retina

Infection

Main Causes

Chemical Poisoning

Nutritional Deficiency

Economic Blindness:

Inability of a person to count fingers from a distance of 6 meters or 20 feet

Social Blindness:

Field of vision is less than 10° or 3/60

Complete Blindness :

No perception of light

Curable Blindness:

Blindness can be cured with appropriate treatment for example cataract

Avoidable Blindness:

It consists of curable & avoidable types of blindness

Management and Rehabilitation :

- Health education and awareness
- Health survey and medicine distribution on regular intervals
- Definitive management of common conditions that may lead to visual impairments
- Eye Camps and Eye Banks
- Sophisticated care
- Appropriate inclusion in educational and in livelihood activities
- Improvement in quality of life
- Availability of learning materials in braille
- Software

1. अंधता/दृष्टि हीनता

अंधता से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान है—

दृष्टि का पूर्णतया अभाव

सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आँख में दृष्टि सूतीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम

10 डिग्री से कम के किसी कोण पर कक्षांतरित दृश्य क्षेत्र की परिसीमा

रेटिना से संबंधित

संक्रमण

मुख्य
कारण

रसायन विषाक्तता

पोषण की कमी

इकोनॉमिक अंधता:

6 मीटर या 20 फीट की दूरी से उंगलियों की गिनती करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता

सामाजिक अंधता:

दृष्टि 3/60 या दृष्टि का क्षेत्र 10° से कम होना

पूर्ण अंधता:

प्रकाश की कोई अनुभूती नहीं

ठीक होने लायक अंधता:

उपचार से ठीक होने वाली अंधता जैसे मोतियाबिन्द

टाले जाने लायक अंधता:

इसमें ठीक होने लायक व रोके जाने लायक दोनों प्रकार आते हैं।

उपचार एवं पुनर्वास

- समय समय पर स्वास्थ्य सर्वेक्षण व दवा वितरण
- सामान्यतः दृष्टि बाधित करने वाली स्थितियों का निश्चित प्रबंधन
- नेत्र कैंप एवं नेत्र बैंक
- परिष्कृत देखभाल
- शिक्षा एवं रोजगार में उचित समायोजन
- जीवन की गुणवत्ता में सुधार
- स्वास्थ्य शिक्षा तथा जागरूकता
- पोषक आहार
- ब्रेल लीपि में उपलब्ध पाठ्य सामग्री
- साफ्टवेयर्स

2. Low Vision


“Low-vision” means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

- (i) Visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 up-to 3/60 or up-to 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or
- (ii) Limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10



To ensure the effective participation of people with low vision, following adaptations are required:

- Ensure adequate light
- Minimizing the glare
- Maximize the contrast
- Goal oriented focus
- Assistive Aids & appliances
- Removal of additional barriers



Rehabilitation Strategies

Individual Rehabilitation Program:

- Spectacles
- Magnifying glasses
- Assistive aids & appliances
- Referral to other experts

Assistive Technology:

- Computer
- Smartphone
- Other digital software

Social Rehabilitation and Inclusion:

- Counselling related to education and employment
- Accessibility
- Participation in social activities
- Community awareness and sensitization

2. निम्न दृष्टि/अल्प दृष्टि

निम्न दृष्टि से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है—

1. बेहतर आँख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 से अधिक या 20/60 से कम से 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक दृश्य सुतीक्ष्णता
2. 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक कक्षांतरित दृष्टि की क्षेत्र परिसीमा



निम्न दृष्टि वाले लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्न संशोधनों और अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है।

- अतिरिक्त प्रकाश की व्यवस्था
- ग्लेर (चमक) को कम करना
- कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना
- लक्ष्य को केन्द्रित करना
- सहायक उपकरण
- अतिरिक्त अवरोधों को हटाना



निम्न दृष्टि पुनर्वासन

व्यक्तिगत पुनर्वास कार्यक्रम :

- चश्मा
- सहायक उपकरण
- मैग्निफाइंग ग्लासेस
- अन्य विशेषज्ञों को रेफर करना

सहायक टेक्नोलॉजी :

- कम्प्यूटर
- अन्य डिजीटल सॉफ्टवेयर
- स्मार्ट फोन


सामाजिक पुनर्वास व समावेशन :

- शिक्षा एवं रोजगार संबंधी परामर्श
- सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी
- सुगम पहुँच
- सामुदायिक जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम

3. Intellectual Disability

Intellectual disability, a condition characterized by significant limitation in both intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behavior.

Classification of Intellectual disability



Mild intellectual disability IQ 75-50

- Able to get education and job with minimal assistance
- Able to lead a normal life after basic training

Moderate intellectual disability IQ 50-35

- Able to take care of themselves and routine activities
- Able to participate in social activities in a protected environment

Severe intellectual disability IQ 35-20

- Once trained, able to manage basic self care activities
- Once trained, can communicate upto some extent.

Profound intellectual disability IQ < 20

- Can learn basic selfcare with appropriate support
- With training, can learn to express oneself through words.

Main Causes

- Infection or injury during prenatal, antinatal & post natal period
- Chromosomal and genetic anomalies
- Premature delivery
- Developmental or nutritional issues
- Toxins and other unknown causes

Intervention and Rehabilitation

Primary intervention

- Public awareness
- Improvement in maternal and child health
- Genetic counselling
- Inclusion in anganwadi and preschool activities
- Ensuring age-appropriate education

Secondary intervention

- Screening for congenital anomalies
- Early identification and intervention
- Inclusive education

Tertiary intervention

- Mitigate secondary complications
- Parental guidance & counselling
- Management of emotional and behavioural issues
- Proper inclusion in the classroom / workplace
- Salary and promotion opportunities in jobs
- Inclusion in society

3. बौद्धिक दिव्यांगता

बौद्धिक दिव्यांगता से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या, समाधान) और अनुकूलित व्यवहार, दोनों में महत्वपूर्ण कमी होती है।

बौद्धिक दिव्यांगता का वर्गीकरण



हल्की बौद्धिक अक्षमता
IQ 75-50

- आंशिक मदद से शिक्षा प्राप्ति व नौकरी करने में सक्षम
- बुनियादी ट्रेनिंग के बाद सामान्य जीवन जीने में समर्थ

मध्यम बौद्धिक अक्षमता
IQ 50-35

- मार्गदर्शन से खुद का ध्यान व रोजमर्रा के काम करने में समर्थ
- संरक्षित वातावरण में सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने में समर्थ

गंभीर बौद्धिक अक्षमता
IQ 35-20

- सिखाने पर बुनियादी स्व देखभाल के काम करने योग्य
- प्रशिक्षण से कुछ हद तक संप्रेषण कर सकते हैं

अति गंभीर बौद्धिक अक्षमता
IQ 20 से कम

- उचित समर्थन के साथ स्वयं की बुनियादी देखभाल सीख सकते हैं
- प्रशिक्षण से अपनी बात बताना व दूसरों की बात समझना सीख सकते हैं

मुख्य कारण

- जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के बाद में दिमागी चोट या संक्रमण
- गुणसूत्र या अनुवांशिक समस्याएँ
- समय से पहले डिलीवरी
- विकास या पोषण संबंधी समस्याएँ
- विषाक्त पदार्थ और अन्य अज्ञात कारण

हस्तक्षेप और पुनर्वास

प्राथमिक हस्तक्षेप

- जन जागरूकता
- मातृ एवं शिशु देखभाल में सुधार
- आनुवंशिक परामर्श
- आंगनवाड़ी एवं प्रीस्कूल गतिविधियों में समावेशन
- आयु अनुरूप शिक्षा सुनिश्चित करना

माध्यमिक हस्तक्षेप

- समावेशी शिक्षा
- शीघ्र निदान एवं हस्तक्षेप
- जन्मजात बिमारियों के लिए स्क्रीनिंग

तृतीयक हस्तक्षेप

- आगे की समस्याओं को कम करना
- अभिभावकों को परामर्श
- भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याओं का प्रबंधन
- कक्षा / कार्यस्थल में उचित समावेशन
- प्रचलित और व्यवहारिक प्रशिक्षण
- वेतन तथा पदोन्नति के अवसर
- बहुविषयक दृष्टिकोण से समाज में उचित समावेशन

4. Mental illness


"Mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgement, behaviour, capacity to recognise reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterized by subnormality of intelligence.

Major causes

- Improper family atmosphere
- Head injury
- Having an accident in childhood
- Consuming unhealthy food
- Consuming of narcotic drugs
- Shock

Types of mental illness

- Depression
- Schizophrenia
- Phobia
- Obsessive Compulsive disorder
- Dementia



Management strategies

Psychotherapy

- Medical consultation and medicines

Psychological Consultation

- Individual and Group therapy
- Regular consultation
- Medications
- Yoga and Meditation

Social Rehabilitation

- Inclusion of persons with mental illness in mainstream society
- Restoration of professional work
- Social awareness

4. मानसिक रूग्णता


मानसिक रूग्णता से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्करण या स्मरण शक्ति का अत्याधिक विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किन्तु इसके अन्तर्गत मानसिक मन्दता नहीं है।

प्रमुख कारण

- पारिवारिक माहौल का सही न होना
- सिर पर चोट लगना
- बचपन में किसी दुर्घटना का होना
- अपौष्टिक भोजन करना
- नशीले पदार्थों का सेवन करना
- सदमा

मानसिक रूग्णता के प्रकार

- अवसाद (डिप्रेशन)
- भूलने के बीमारी (डिमेन्शिया)
- स्कीज़ोफ्रेनिया
- फोबिया
- ओब्सेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर



उपचार के विकल्प

मनोचिकित्सा

डाक्टरी परामर्श
एवं दवाएँ

मनोवैज्ञानिक परामर्श

व्यक्तिगत व समूह थेरेपी,
सामयिक परामर्श, दवाएँ,
योग व ध्यान


सामाजिक पुनर्वास

मानसिक रोगी का समाज में
अधिकतम समावेशन, पेशेवर कामकाज
की बहाली, सामाजिक जागरूकता

5. Hearing Impairment

Hearing impairment— (a) “deaf” means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears; (b) “hard of hearing” means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

Main Types



Apart from the above, there are following two other categories:

- Unilateral deafness / hearing loss: when one ear has difficulty and the other ear has normal hearing capacity
- Bilateral deafness / hearing loss: when the problem is in both the ears.

- Main Causes**
- Congenital
 - Due to lack of oxygen at birth
 - Genetic factors
 - Ear or brain infection
 - Accident and injury
 - Infection
 - Adverse effect of medicines during pregnancy


- Early signs and symptoms**
- Child is not able to speak on time (delayed speech)
 - No response to voice & being lost
 - Only Responding to loud sounds
 - Problem with pronunciation
 - Problem in voice quality and intonation
 - Using signs instead of speech
 - Delayed physical development

- Treatment and Management Measures:**
- Medical examination and consultation
 - Assessment based management such as
 - Ear wax removal
 - Surgery and medicines
 - Hearing Aid
 - Alternative means of communication for example
 - Sign language & AAC (Augmentative & Alternative Communication)
 - Digital software
 - Expression through writing
 - Equal participation in education and livelihood sector
 - Aids & appliances

5. श्रवण शक्ति का ह्रास

यह एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग बधिरता व सुनने में परेशानी के लिए किया जाता है बधिर का अर्थ है, वह व्यक्ति जिसे दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों में 70 डेसीबल श्रव्य ह्रास है। ऊँचा सुनने वाले व्यक्ति का मतलब उन लोगों से है जिन्हें दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में 60 से 70 डेसीबल श्रव्य ह्रास है।

मुख्य प्रकार



इसके इलावा दो अन्य श्रेणियाँ भी है जो निम्नलिखित है:

- एकतरफा बधिरता / श्रवण हानि : जब एक कान में दिक्कत हो तथा दूसरे कान की श्रवण क्षमता सामान्य हो
- दोतरफा बधिरता / श्रवण हानि : जब दोनों कानों में दिक्कत हो

प्रमुख कारण

- जन्म के समय बच्चे में ऑक्सीजन की कमी
- जेनेटिक कारक
- कान या मस्तिष्क से संबंधित संक्रमण
- दुर्घटना व चोट
- संक्रमण
- गर्भावस्था के दौरान दवाओं का विपरीत असर

शुरुआती संकेत और लक्षण

- बच्चे का समय पर बोल न पाना
- आवाज देने पर न सुनना व अपने में ही खोये रहना
- तेज़ आवाज़ में बोलने पर ही प्रतिक्रिया करना
- उच्चारण में समस्या
- आवाज़ की गुणवत्ता एवं लय में परेशानी
- बोलने की जगह पर इशारे करना
- शारीरिक विकास में देरी



उपचार एवं प्रबंधन के उपाय

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| ❖ डॉक्टरी जाँच व परामर्श | ❖ वार्तालाप के लिए अन्य विकल्प |
| ❖ निदान पर आधारित प्रबंधन जैसे – | • सांकेतिक लैंग्वेज |
| • कान के मैल को निकालना | • लिखकर बताना |
| • सर्जरी एवं दवाएँ | • ए.ए.सी. |
| • सुनने की मशीन | • डिजिटल साफ्टवेयर्स |
| | • शिक्षा व रोज़गार में समान भागीदारी |
| | • सहायक उपकरण एवं तकनीक |


6. Parkinson's Disease

Parkinson's disease means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity and slow, imprecise movement. Chiefly, affecting middle aged and elderly people, associated with the degeneration of basal ganglia of the brain and a deficiency of the neuro transmitter "dopamine".

Main Stages



Intervention and rehabilitation



6. पार्किंसंस रोग

पार्किंसंस रोग से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है जो कंपन, पेशी की कठोरता और धीमा, कठिन संचालन द्वारा चिह्नित होता है

I



II



III



पार्किंसंस रोग सामान्यतः वरिष्ठों में होने वाले रोगों के अन्तर्गत आता है, जिसके लक्षण 50 से 60 वर्ष की आयु के बीच परिलक्षित होते हैं

मुख्य अवस्थाएँ

सामान्यतः लक्षण रोज़मर्रा के कामों को प्रभावित नहीं करते हैं

रोग सम्पूर्ण शरीर को प्रभावित करने लगता है रोज़ मर्रा के कामों में ज्यादा समय लगता है

संतुलन और समन्वय में कमी रोज़ मर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है

IV



V



आत्मनिर्भरता कम हो जाती है व देखरेख की जरूरत पड़ती है

- सबसे गम्भीर अवस्था
- ज्यादातर समय बिस्तर पर

प्रमुख लक्षण तथा संकेत

आगे की ओर झुका हुआ सिर

अकिनेसिया यानी सामान्य गतिविधियों का अभाव
झुका हुआ शरीर

रिजिडिटी यानी अकड़ापन

वजन का गिरना

अवसाद एवम् व्यवहारिक दिक्कतें



सामान्य बातचीत में परेशानी
पलकों को झपकने में परेशानी

सर का कम्पन
लार गिरना
मास्क जैसे हावभाव
हाथों में कम्पन
शारीरिक असंतुलन

हल्के मुड़े हुए घुटने

छोटे और लड़खड़ाते कदम
बार बार गिर जाना

हस्तक्षेप और पुनर्वास

शुरुआती चरण

- चिकित्सीय परामर्श व दवाएँ
- वर्जिश और बचाव

पुनर्वास चरण

- फिजियोथेरेपी
- ऑक्यूपेशनल थेरेपी
- दवाएँ
- खानपान सम्बंधित परामर्श
- जीवन को गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर

रखरखाव चरण

- संतुलन, समन्वय तथा मांसपेशियों की मजबूती के लिए वर्जिश
- मनोवैज्ञानिक सहयोग
- न्युरो सर्जरी
- स्पीच थेरेपी

लेट (उपशामक चरण)

- बाहर तथा घर में सुरक्षित वातावरण प्रदान करना
- परिवार के लोगों का प्रशिक्षण
- सहायक उपकरण
- व्हीलचेयर

7. Acid Attack Victim

Acid attack victims means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

Why does this happen

In most cases when a young girl or woman rejects a man's sexual desire or marriage proposals

Family & land dispute, dowry & revenge

Socially, politically or religiously motivated

What are the consequences

It has a serious impact on the physical and mental condition of the person

It can cause serious damage to the skin, underlying muscles and bones.

Depending on the intensity, it can permanently damage one or both eyes and other vital organs of the body. In addition to physical harm, it severely affects their self-esteem, confidence & their social repute.

Problems in social inclusion and family life

Management and rehabilitation

During the initial stage:

- Hygiene, proper dressing, physiotherapy, skin grafting, protein rich diet, corrective surgery

At a later stage:

- Counseling and supporting social inclusion
- Shelter and vocational training
- Educational and social support

7. तेजाबी आक्रमण पीड़ित

तेजाबी आक्रमण पीड़ित से तेजाब या समान संक्षारित पदार्थ को फेंक कर किये गए हिंसक हमले के कारण विद्रूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

ऐसा क्यों होता है

ज्यादातर मामलों में जब एक युवा लड़की/महिला पुरुष की यौन इच्छा या शादी के प्रस्तावों को अस्वीकार करती है।

परिवार या भूमि विवाद, दहेज की माँग या बदले की भावना

सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक रूप से प्रेरित

इसके क्या परिणाम होते हैं

यह व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है

यह त्वचा, अंतनिर्हित मांसपेशियों और हड्डियों को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है।

तीव्रता के आधार पर, एक या दोनों आँखों को स्थायी रूप से और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुँचा सकता है शारीरिक नुकसान के अलावा, यह उनके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास व उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को बुरी तरह से प्रभावित करता है

सामाजिक समावेशन, रोज़गार एवं पारिवारिक जीवन में दिक्कतें

उपचार और पुनर्वास

प्रारंभिक चरण के दौरान :

स्वच्छता, उचित ड्रेसिंग, फिज़ियोथेरेपी, स्किन ग्राफ़्टिंग, प्रोटीन युक्त आहार, सुधारात्मक सर्जरी

बाद के चरण में :

एसिड बर्न रोगियों की काउंसलिंग, सामाजिक समावेशन का समर्थन
आश्रय और व्यवसायिक प्रशिक्षण
शैक्षिक सहायता और सामाजिक समर्थन

8. Haemophilia


"Haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding;

Types of Haemophilia


1. Haemophilia A: It is caused by low levels of clotting factor VIII
2. Haemophilia B: It is caused by low levels of Factor IX. It is also known as Christmas disease,
3. Haemophilia C: It is Caused by low levels of clotting factor XI
4. Parahaemophilia: It is Caused by low levels of clotting factor V

Causes of Haemophilia

Father Impeccable and carrier mother



Haemophilic father and impeccable mother



Major Signs

1. Bleeding from minor scratches
2. Bleeding nostrils
3. Excessive bleeding
4. Haematuria
5. Blood clotting takes longer time than usual, that further results in an anaemia
6. Painful and swollen joints due to internal bleeding

Management and Rehabilitation

1. First aid for minor injuries
2. Medications and injections to stop the bleeding
3. Prevention from bruises & injuries
4. Physiotherapy
5. Social Security & Inclusion
6. Blood bank

8. हेमोफीलिया


हेमोफीलिया से आनुवांशिक रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किन्तु यह महिला द्वारा अपने नर बालकों में संचारित है, इसकी विशेषता रक्त का थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे छोटे से घाव का परिणाम भी घातक रक्त स्राव हो सकता है।

हेमोफीलिया के प्रकार

1. हेमोफीलिया ए: यह क्लॉटिंग फैक्टर VIII के निम्न स्तर के कारण होता है।
2. हेमोफीलिया बी: क्लॉटिंग फैक्टर IX के निम्न स्तर के कारण होता है। यह क्रिसमस की बीमारी के रूप में भी जाना जाता है
3. हेमोफीलिया सी: क्लॉटिंग फैक्टर XI के निम्न स्तर के कारण होता है
4. पैराहेमोफीलिया: क्लॉटिंग फैक्टर V के निम्न स्तर के कारण होता है

हेमोफीलिया के कारण

पिता दोषमुक्त व संवाहक माता



हेमोफीलिक पिता व दोषमुक्त माता



मुख्य संकेत

1. हल्की खरोंच से भी खून आ जाना
2. नाक से खून आना
3. बहुत अधिक खून बहना
4. पेशाब में खून आना
5. खून रुकने में सामान्य से अधिक समय लगना और परिणामस्वरूप रक्ताल्पता होना
6. जोड़ों में रक्तस्राव होने से सोजिश व दर्द होना
7. हेमोफीलिया गठिया

उपचार व पुनर्वास

1. छोटी चोटों के लिए प्राथमिक उपचार
2. खून को बहने से रोकने के लिए दवायें व इन्जेक्शन
3. खरोंच व चोट से बचाव
4. फिजियोथेरेपी
5. सरकारी सहायता व सामाजिक समावेशन
6. ब्लड बैंक

9. Sickle Cell Disease


Sickle cell disease” means a hemolytic disorder characterised by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage.

In this, red blood cells usually become hard and sticky instead of round shape and look like a sickle. These sickle-like cells start dying quickly and give rise to anaemia.

In addition, these cells block small arteries while passing through them, resulting in a deficiency of oxygen in the blood.

In addition to sickle cell anaemia, it also has a minor form in which individuals acquire a normal and other abnormal haemoglobin gene from their parents, which is called sickle cell trait. Such people lead a normal life with fewer symptoms.

Sickle cell



Normal red blood cell

Signs and symptoms

- Frequent infections and sickness
- Difficulty in breathing
- Skin disorders like ulcers
- Arthritis (joint pain)
- Eye problems
- Kidney related issues
- Swelling of visceral organs
- Intestinal diseases

Management and Rehabilitation:

Currently, no specific treatment is available, however, by managing related complications, quality of life of an individual can be improved.

following are some of the options :-

- Bone marrow and stem cell transplantation
- Diet management
- Positive thinking and lifestyle
- Doctor consultation and check up
- Family and social support

9. सिक्कल कोशिका रोग


सिक्कल कोशिका रोग से होमोलेटिक विकृति अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यन्त कमी, पीड़ादायक घटना जो सहबद्ध उत्तकों और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है।

इसमें लाल रक्त कोशिकाएँ सामान्यतः गोल आकृति के बजाय सख्त एवं चिपचिपी हो जाती है तथा दरांती जैसी दिखती है। ये स्क्लड (दरांती) जैसी दिखने वाली कोशिकाएँ जल्दी जल्दी क्षतिग्रस्त होने लगती है एवं रक्ताल्पता को जन्म देती है

इसके अलावा ये कोशिकाएँ छोटी धमनियों से गुजरते समय उनमें रुकावट पैदा कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।

सिकल सेल एनेमिया के अलावा इसका एक सोम्य रूप भी है जिसमें व्यक्ति अपने माता-पिता से एक सामान्य तथा दूसरे असामान्य हीमोग्लोबिन जीन प्राप्त करते है। जिसे सिकल सेल ट्रेट कहते है। ये लोग कुछ लक्षणों के साथ सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं।

सिक्कल कोशिका



सामान्य लाल रक्त कोशिका

संकेत व लक्षण

- बार-बार संक्रमण एवं बीमार होना
- सांस लेने में परेशानी
- त्वचा के विकार जैसे – अल्सर
- अर्थराइटिस (जोड़ों में दर्द)
- आँख सम्बन्धी रोग
- गुर्दे से जुड़ी दिक्कतें
- आंतरिक अंगों की सूजन
- आंत संबंधित रोग

उपचार व पुनर्वास

वर्तमान में कोई विशेष ईलाज उपलब्ध नहीं है हालांकि रोग से जुड़ी जटिलताओं को प्रतिबंधित करके व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है जिसके कुछ विकल्प निम्नलिखित है

- अस्थि मज्जा व स्टेम सेल प्रत्यारोपण
- आहार प्रबंधन
- सकारात्मक सोच और जीवन शैली
- डॉक्टर से परामर्श व चैकअप
- पारिवारिक एवं सामाजिक सहयोग

10. Thalassemia

"Thalassemia" means a group of inherited disorders characterised by reduced or absent amounts of haemoglobin

Haemoglobin is made up of two proteins, alpha and beta globin. Thalassemia is a condition when there is a defect in the gene that helps to control the production of these proteins. There are mainly 2 types of thalassemia:

Main Types

Alpha Thalassemia:

When the gene or genes related to the alpha globin protein are missing or altered. Signs and symptoms may be severe or non-existent.

Beta thalassemia:

When the production of beta gene is affected, there is a genetic deficiency of the beta globin component of hemoglobin. When only one of the 2 genes is involved, then it results in thalassemia minor. In this the patient experiences only the few symptoms. Conversely, when both the genes are involved, the condition is called thalassemia major, it requires constant attention and treatment

Appropriate Treatment

Mostly, thalassemia minor does not require any treatment.

The main goals for the treatment of thalassemia major are:


Providing appropriate and adequate haemoglobin for erythropoiesis (production of red blood cells)

Minimize the effect of iron overload

Blood transfusion at regular interval

Genetic counselling

Ensuring the availability of blood bank and camps



10. थेलेसेमिया (रक्त संबंधित रोग)

थेलेसेमिया से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हीमोग्लोबिन की कमी या अभाव हैं।

हीमोग्लोबिन दो प्रोटीनों से बना होता है, अल्फा और बीटा ग्लोबिन थेलेसेमिया वह स्थिति है जब जीन में कोई दोष होता है जो इन प्रोटीनों के उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करता है। उसी पर आधारित थेलेसेमिया के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं

मुख्य प्रकार

अल्फा थेलेसेमिया

जब अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन से संबंधित जीन अनुपस्थित या परिवर्तित हो जाए, इसमें संकेत व लक्षण गंभीर या ना के बराबर हो सकते हैं

बीटा थेलेसेमिया

जब बीटा जीन का उत्पादन प्रभावित होता है इसमें हीमोग्लोबिन के बीटा ग्लोबिन घटक की आनुवांशिक कमी हो जाती है। यहाँ दो जीनों में से जब एक ही संलिप्त हो, तो इसे थेलेसेमिया माइनर कहा जाता है, इसमें कुछ ही लक्षण रोगी को परेशान करते हैं। इसके विपरीत जब दोनो ही जीन संलिप्त हो तो स्थिति थेलेसेमिया मेजर कहलाती है। इसमें लगातार सावधानी एवं उपचार की जरूरत होती है।

ज्यादातर थेलेसेमिया माइनर में किसी इलाज की जरूरत नहीं होती

थेलेसेमिया मेजर के इलाज के लिए मुख्य तरीकें :

एरथ्रोप्रोइसेस के लिए उचित व पर्याप्त हीमोग्लोबिन उपलब्ध कराना

आयरन ओवलोड के असर को कम करना

नियमित अंतराल पर खून चढ़ाना

जनेटिक काउंसेलिंग करना

ब्लड बैंक और कैप्स की सुनिश्चितता




उचित उपचार

11. Chronic Neurological Conditions


Chronic neurological conditions is a group of disorders related to the central and peripheral nervous system. This includes disorders of the brain, spinal cord and related nerves.

Some important chronic neurological conditions



Associated Symptoms


- Limitations in physical activities
- Problems related to perception and behavior
- Causalgia (Pain & Burning Sensation in hands & feet), seizures & unconsciousness
- Tremors



11. चिरकारी तंत्रिका दशाएं

चिरकारी तंत्रिका दशाएं केंद्रीय और परीधीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकारों का एक समूह है। इसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जू एवं संबंधित नसों के विकार शामिल हैं।

कुछ महत्वपूर्ण चिरकारी तंत्रिका दशाओं की स्थितियाँ




विकारों से जुड़ी विकलांगताएँ और लक्षण

- गतिविधियों में कमी
- अनुभूति और व्यवहार से जुड़ी समस्याएँ
- तीव्र दर्द के साथ हाथों व पैरों में जलन, दौरे, बेहोशी
- शरीर में कम्पन




12. Autism Spectrum Disorder


Autism spectrum disorder means a neuro developmental condition typically appearing in the first 3 years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationship & relate to others, is frequently associated with an unusual or stereotypical rituals or behavior problems.



Signs of Autism




Available Management Options




12. स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार

स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार से एक ऐसी तंत्रिका विकार की स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्टतः जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की सम्पर्क करने की, संबंधित को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को अत्याधिक प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे-पिटे कर्मकाण्डों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।



मुख्य लक्षण



उपलब्ध समाधान व हस्तक्षेप




13. Multiple Sclerosis

“Multiple sclerosis” means an inflammatory nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other.

Key Facts


Multiple sclerosis is an autoimmune disease of the central nervous system, it can be progressive or recurrent.

The ratio of multiple sclerosis in women and men is 2:1.




There is upto 3% possibility to pass it on from a parent/sibling with multiple sclerosis


Healthy nerve



Nerves affected by multiple sclerosis



Symptoms of Multiple Sclerosis



Intervention and Rehabilitation

- Physiotherapy; to reduce pain and improve functionality
- Occupational therapy to restore function in alternative ways
- General consultation with doctors
- Disease modifying drugs
- Scholarships
- Reservation in employment
- Changes in basic infrastructure
- Workplace sensitisation
- Assistive technology
- Accessibility



13. बहु स्वक्लेरोसिस

बहु स्वक्लेरोसिस से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तन्तुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन शीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है।

मुख्य तथ्य


बहु स्वक्लेरोसिस केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र का एक स्व-प्रतिरक्षित रोग है, यह प्रगतिशील या पुनरावर्तनशील हो सकता है

महिलाओं और पुरुषों में बहु स्वक्लेरोसिस का अनुपात 2:1 है



यदि किसी व्यक्ति के माता-पिता या भाई बहन को बहु स्वक्लेरोसिस है, तो उस व्यक्ति में इसके विकसित होने की 1-3% संभावना है

स्वस्थ तंत्रिका



बहु स्वक्लेरोसिस द्वारा प्रभावित तंत्रिका


एक व्यक्ति को किसी भी उम्र में बहु स्वक्लेरोसिस हो सकता है।

लेकिन अधिकांश लोगों का निदान 20 से 40 की उम्र के बीच हो जाता है



बहु स्वक्लेरोसिस के लक्षण

हस्तक्षेप और पुनर्वास



- फिजियोथेरेपी : दर्द को कम करने और कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए
- व्यवसायिक चिकित्सा वैकल्पिक तरीकों से कार्य को बहाल करने के लिए
- बौद्धिक पुनर्वास
- डॉक्टरों के साथ सामान्य परामर्श
- बिमारी में संशोधन की दवाएँ
- स्कॉलरशिप्स
- रोजगार में आरक्षण
- बुनियादी ढांचे में बदलाव
- कार्यस्थल संवेदीकरण
- सहायक तकनीक और उपकरण जो सुगम पहुँच में सहायक हो

14. Speech and Language Disorders

“Speech and language disability” means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.



Causes according to age

In Children

- Throat cancer / vocal cord problem
- Cleft palate / lips.
- Problems associated with teeth / tongue
- Conditions affecting brain development such as cerebral palsy, injury, hearing loss, lack of oxygen at birth etc

In Adults

- Stroke and paralysis
- Head injury and cancer.
- Autism.
- Hearing problem
- Learning disorder

The signs and symptoms of disability depends upon the type of disorder, although some of the main symptoms are

Speech related

- Difficulty in correct pronunciation of words
- Voice too loud or too slow
- Slurring
- Speech associated with an appropriate blinking of eyes & head movement
- Stuttering.

Language Related

- It can be receptive and expressive
- Problems in completing verbal message
- Difficulty in organising thoughts
- Unable to find vocabulary for sentences
- Leaving sentences and messages incomplete

Management options

Some problems related to speech and language are resolved on their own, although some require interventions such as

- Assessment from Speech therapist and speech therapy if needed
- Sign language
- Psychological therapy
- AAC (Augmentative Alternative Communication)
- Oral motor exercises and assistive technology
- Assistive aids & appliances such as communication boards and software

14. वाक् एवं भाषा दिव्यांगता

वाक् एवं भाषा दिव्यांगता से लेराईनजक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थाई दिव्यांगता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण वाक् एवं भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।



उम्र के अनुसार कारण

बच्चों में

गले का कैंसर/वोकल कार्ड में दिक्कत
फटे तालु एवं होंठ
दाँतों/जीभ से जुड़ी समस्या
मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियाँ जैसे सेरेब्रल पाल्सी, चोट लगना, सुनने में परेशानी, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी आदि

वयस्कों में

स्ट्रोक व लकवा
दिमागी चोट एवं कैंसर
ऑटिज्म
श्रवण समस्या
सीखने संबंधी विकार

दिव्यांगता के संकेत एवं लक्षण, विकार के प्रकार पर निर्भर करते हैं, हालांकि कुछ मुख्य लक्षण निम्न हैं

वाक् संबंधित

शब्दों के सही उच्चारण में दिक्कत
आवाज बहुत तेज व धीमी होना
अटक-अटक के बोलना
बोलते समय सर व आँखों का हिलना
हकलाना

भाषा संबंधित

यह ग्रहणशील तथा अभिव्यंजक हो सकते हैं जैसे दूसरों की बात को समझने में दिक्कत
बोली गई बात को पूरा करने में परेशानी
विचारों को व्यवस्थित करने में कठिनाई
अपने वाक्यों के लिए शब्द न ढूँढ पाना
वाक्यों व संदेश को अधूरा छोड़ देना

उपचार के विकल्प

बोलने एवं भाषा से जुड़ी कुछ समस्याएँ खुद ही ठीक हो जाती हैं, हालांकि कुछ के लिए हस्तक्षेप के जरूरत होती है जैसे

1. स्पीच थेरेपिस्ट से जाँच व जरूरत पड़ने पर थेरेपी
2. सांकेतिक भाषा
3. मनोवैज्ञानिक थेरेपी
4. ऐ ऐ सी (आउगमेंटेटीव अल्टरनेटिव कम्प्यूनिकेशन)
5. ओरल मोटर थेरेपी एवं तकनीक
6. सहायक उपकरण जैसे कम्प्यूनिकेशन बोर्ड (संप्रेषण बोर्ड) एवं सॉफ्टवेयर्स

15. Multiple Disability

When a person has a combination of more than one disability, this condition is called multiple disability.


- Examples**
- Speech & Hearing Impairment
 - Deafblindness
 - Deafblindness + Intellectual disability
 - Blindness + Intellectual disability
 - Locomotor disability + visual impairment / intellectual disability / deafness
 - Cerebral palsy + intellectual disability



- Major Issues**
- Communication
 - Delay and difficulty in receiving & understanding information
 - Mobility problems
 - Social discrimination
 - In routine activities
 - In case of emergency
 - Independent life
 - To get education and employment
 - To avail personal and social rights

Early identification and intervention may help in developing the child's optimum potential

Available management and rehabilitation options



15. बहु दिव्यांगता

जब किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा विकलांगताएँ होती हैं तो इस स्थिति को बहु दिव्यांगता कहा जाता है

उदाहरण

- मूकबधिरता
- बधिरांधता
- मूकबधिरता + बौद्धिक अक्षमता
- अंधता + बौद्धिक अक्षमता
- चलने फिरने संबंधित + दृष्टि बाधिता / बौद्धिक अक्षमता / मूकबधिरता
- सेरेब्रल पाल्सी + बौद्धिक अक्षमता



मुख्य परेशानियाँ

- संप्रेशण
- सूचना पाने में देरी व दिक्कत
- चलने-फिरने में परेशानी
- सामाजिक भेदभाव
- सामान्य जीवन जीने में
- रोजमर्रा के कामों में
- आपात स्थिति में
- आत्मनिर्भर जीवन जीने में
- शिक्षा एवं रोजगार पाने में
- व्यक्तिगत व सामाजिक अधिकार पाने में

शीघ्र निदान व शीघ्र हस्तक्षेप से बच्चे की अधिकतम क्षमता को विकसित किया जा सकता है।

उपलब्ध उपचार एवं पुनर्वास

शुरुआती चरण :

- जल्दी निदान एवं डॉक्टरी सलाह
- थरेपी
- व्यक्तिगत कार्य योजना
- समावेशी शिक्षा

बाद के चरण :

- सम्प्रेक्षण कौशल पर काम
- सहायक उपकरण जैसे हियरिंग ऐड,
- साइन लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स व स्मार्ट डिवाइसेस
- उपलब्ध क्षमताओं का अधिकतम उपयोग
- बहु संवेदी तकनीकों का उपयोग
- समय समय पर श्रवण व दृष्टि की जाँच
- समावेशन व सामाजिक भागीदारी

16. Leprosy Cured Persons


“Leprosy cured person” means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

- (1) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;
- (2) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;
- (3) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression “leprosy cured” shall construed accordingly

Signs and symptoms of leprosy infection:

- Light yellow or pink patches on the skin
- These parts of the skin may not be sensitive to temperature and pain.
- As a result, the person's fingers and toes become deformed.
- If not treated on time, it can become a serious condition and cause deformity.

Common deformities related to leprosy



Management and rehabilitation



Anti Lepromatous Therapy / Multi Drug Therapy

General awareness of individual and community at large

To make aware the individual and their family about special government provisions

Vocational Training

Social acceptance and inclusion

Self-reliant life


16. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति

कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोग मुक्त हो गया है किन्तु


1. हाथ/पैरों में सुग्राहीकरण का हास के साथ आँख और पलक में सुग्राहीकरण का हास और आंशिक घात किन्तु व्यक्ति विरूपता नहीं है।
2. व्यक्ति विरूपता और आंशिक घात, किन्तु हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससे व्यक्ति सामान्य व्यवसायिक क्रियाकलापों के लिए सक्षम है।
3. अत्यन्त शारीरिक विरूपता के साथ-साथ वृद्ध जो उसे लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है।

कुष्ठ संक्रमण के संकेत एवं लक्षण

- त्वचा पर हल्के पीले या गुलाबी धब्बे
- त्वचा के ये हिस्से तापमान और दर्द के लिए संवेदनहीन हो सकते हैं
- परिणामस्वरूप व्यक्ति की अंगुलिया व पंजे विकृत हो जाते हैं
- अगर समय पर इलाज न किया जाए तो यह गंभीर स्थिति हो सकती है तथा विकृति आ सकती है



कुष्ठ रोग से जुड़ी सामान्य विकृतियाँ



उपचार और पुनर्वास

एंटी
लेपरोमेट्स
थेरेपी / मल्टी
ड्रग थेरेपी

व्यक्ति तथा
समाज को
जागरूक
करना

व्यक्ति व
परिवार को विशेष
सरकारी सुविधाओं
से अवगत कराना

व्यवसायिक
प्रशिक्षण

सामाजिक
स्वीकृति एवं
समावेशन

आत्मनिर्भर
जीवन

17. Dwarfism

Dwarfism means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less

Key Facts

Dwarfism is considered a disability but it is not any disease that requires "treatment".


People affected by dwarfism often lead normal lives.

Dwarfism is not an intellectual disability. Most dwarf people have average intelligence.



Jyoti Amge

(The world's shortest height woman)



Symptoms

- Below Usual height
- Slow development
- Delayed puberty
- Increased head circumference
- Bent legs
- Hunchback
- Tooth problems
- Physical deformities

Major categories

Disproportionate Dwarfism

In this, some parts of the body are small and other parts are average or larger than average. In disproportionate dwarfism, bone development stops.

Proportionate Dwarfism:

In this, body parts develop in the same proportion but are smaller than a normal individual.

Management and Rehabilitation

At present, no cure is available, however; early diagnosis is helpful in preventing other problems related to dwarfism.

- Dwarfism related to growth hormone deficiency can be treated with hormonal therapy.
- Corrective surgery
- Physiotherapy to increase muscles power
- Nutritional guidance and exercises
- Equal opportunities at the workplace and in personal life
- Community participation & inclusion

17. बौनापन

बौनापन से कोई चिकित्सीय या आनुवांशिक दशा अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यस्क व्यक्ति की लम्बाई 4 फीट 10 इंच (147 से. मी.) या उससे कम रह जाती है

मुख्य तथ्य

बौनापन एक दिव्यांगता है लेकिन यह एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए ईलाज की आवश्यकता हो।

बौनापन से प्रभावित व्यक्ति अक्सर सामान्य जीवन जीते हैं

बौनापन एक बौद्धिक दिव्यांगता नहीं है अधिकांश बौनेपन प्रभावित लोगों में औसत बुद्धि होती है।



ज्योति आमगे
(संसार की सबसे कम ऊँचाई की महिला)

आनुवांशिक

हार्मोनल

बौनापन के मुख्य कारण

मेटाबोलिक

हड्डी सम्बंधी

लक्षण

- सामान्य से छोटा कद
- धीमी गति से विकास
- यौवनावस्था में देरी
- सिर का आकार बड़ा होना
- मुड़े हुए पैर
- कुबड़
- दाँतों की समस्याएँ
- शारीरिक विकृतियाँ

मुख्य श्रेणियाँ

अनुपातहीन बौनापन

इसमें शरीर के कुछ अंग छोटे व अन्य अंग औसत या औसत से अधिक बड़े होते हैं। अनुपातहीन बौनेपन में हड्डियों का विकास रुक जाता है

आनुपातिक बौनापन

इसमें शरीर के अंग अनुपात में विकसित होते हैं लेकिन सामान्य व्यक्ति की तुलना में छोटे होते हैं।

उपचार और पुनर्वास

वर्तमान में कोई भी सम्पूर्ण इलाज उपलब्ध नहीं, हालांकि शीघ्र निदान बौनेपन से जुड़ी अन्य समस्याओं को रोकने में सहायक है


1. वृद्धि हार्मोन की कमी से संबंधित बौनेपन वाले लोगों का ईलाज हार्मोनल थेरेपी के साथ किया जा सकता है
2. सुधारात्मक सर्जरी
3. मांसपेशियों की क्षमता बढ़ाने के लिए फिजियोथेरेपी
4. पोषण संबंधी मार्गदर्शन और व्यायाम
5. कार्यस्थल व निजी जिंदगी में समान अवसर
6. समाज में बराबर भागीदारी

18. Locomotor Disability

Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both)

Conditions that results in locomotor disability,


- Poliomyelitis,
- Cerebral palsy,
- Spinal cord injury
- Nerve Injury
- Fracture
- Flaccid muscles
- Road traffic accidents
- Head injury



Intervention and rehabilitation

Medical intervention

- Corrective surgery, for restoration of function
- Provision of prosthesis
- Training of selfcare activities
- Assistive devices like- Splint and wheelchair etc
- Physiotherapy



Psychosocial intervention

- Guidance & counselling
- Positive attitude of doctors, family and community
- Psychotherapy to deal with behavioural issues
- Livelihood empowerment
- Social inclusion

Educational intervention:


- Inclusive education,
- Preschool training and parent counseling
- Disability appropriate modification in the existing infrastructure
- Provision of special parking such as levatories & escalaters
- Adequate provision of assistive devices such as wheelchairs
- Vocational training

18. गतिविषयक दिव्यांगता

सुनिश्चित गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं की गतिशीलता से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाल और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है।

गतिविषयक दिव्यांगता को जन्म देने वाली कुछ स्थितियाँ


- पोलियो
- सेरेब्रल पाल्सी
- रीढ़ की चोट
- नसों की चोट
- फ्रैक्चर
- मांसपेशियों की शिथिलता
- सड़क दुर्घटना
- सिर में गहरी चोट



हस्तक्षेप और पुर्नवास

चिकित्सीय पुर्नवास

- सुधारात्मक सर्जरी कार्यक्षमता की बहाली के लिए
- कृत्रिम अंगों का प्रावधान
- दैनिक गतिविधियों का प्रशिक्षण
- सहायक उपकरण जैसे – स्प्लिन्ट व व्हीलचेयर इत्यादि
- फिजियोथेरेपी



मनोसामाजिक हस्तक्षेप

- परामर्श और समर्थन
- डॉक्टरों, परिवार और समुदाय का सकारात्मक रवैया
- व्यवहार संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए मनोचिकित्सा
- आजीविका सशक्तिकरण
- सामाजिक समावेशन

शैक्षिक हस्तक्षेप

- समावेशी शिक्षा
- पूर्वस्कूली प्रशिक्षण और अभिभावक परामर्श
- दिव्यांगता के अनुकूल बुनियादी ढांचे में बदलाव
- विशेष पार्किंग की व्यवस्था
- दिव्यांगजनों के अनुरूप लिफ्ट और शौचालय
- सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर की पर्याप्त व्यवस्था
- व्यवसायिक प्रशिक्षण

19. Cerebral Palsy

“Cerebral Palsy” means a Group of non-progressive neurological conditions affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth; It is the most common developmental disability.

Types

Spastic:

70-80%, The most common form, characterised by Stiffness

Ataxic

6%, affects balance and coordination



Athetoid:

6%, involuntary activities

Mixed type :

Mixture of more than one type

Early signs

Increase / decrease in muscle tone



Poor neck control



Seizures



Balance and coordination Problems



Difficulty in learning




Problems related to vision & hearing



Arched back



Inability to Sit by the age of 8 months



Involuntary movement



Chewing and swallowing Problem



Behavioral Issues



Sleep problems



Outline of basic management

For first 6 years

- Early intervention
- Physiotherapy
- Occupational therapy
- Speech therapy
- Medicines and Surgery
- Assistive Aids & appliances

2. Social / emotional support to the child and family

3. Preschool Preparation - Accessibility

From six to fourteen years

1. Prevention / Maintenance of Secondary Complications

- Physiotherapy
- Occupational therapy
- Speech therapy
- Assistive Aids & appliances

2. Age appropriate Education

1. Appropriate classroom inclusion
2. Adapted curriculum

3. Equal participation in other activities

1. Appropriate games
2. Equal participation in recreational activities

Fourteen to twenty five years

1. Age appropriate education / skill development

- Adapted curriculum
- Vocational training
- Workplace Inclusion
- Ability appropriate Job
- The right to make individual choices

Twenty five years and above

1. Equal participation in social activities

- Rights related to marriage and family
- Political participation
- Right to justice
- Advocacy rights
- Equal Employment rights
- Infrastructural modifications & accessibility

19. प्रमस्तिष्क घात / सेरेब्रल पाल्सी

प्रमस्तिष्क घात से कोई गैर प्रगामी तंत्रिका स्थिति का समूह अभिप्रेत है जो शरीर के संचलन और पेशियों के समन्वय को प्रभावित करता है, यह मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है।

यह जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के तुरन्त बाद मस्तिष्क को हुए नुकसान से होता है यह बचपन में होने वाली सबसे आम दिव्यांगता है

प्रकार

स्पास्टिक :

70-80%, सबसे आम रूप।
मांसपेशियों में अकड़न

एटैक्सिक

6%, संतुलन और समन्वय को प्रभावित करता है



एथेटॉइड :

6%, अनैच्छिक गतिविधियाँ

मिश्रित प्रकार :

एक से ज्यादा प्रकारों का मिश्रण

शुरुआती संकेत

मांसपेशियों की टोन में वृद्धि/कमी



सीखने में कठिनाई



शरीर की बेतरतीब या अनियंत्रित गतिविधियाँ



गर्दन का खराब नियंत्रण



देखने और सुनने की समस्या



खाने और निगलने की समस्या



दौरे



पीठ का मेहराब




व्यवहारिक समस्याएँ



संतुलन और समन्वय की समस्या



8 महीने में बैठने में असमर्थता



नींद की समस्या



बुनियादी उपचार की रूपरेखा

शुरुआती छह साल तक

1. शीघ्र हस्तक्षेप
2. फिजियोथेरेपी
3. ओक्यूपेशनल थेरेपी
4. स्पीच थेरेपी
5. दवाये और सर्जरी
6. सहायक उपकरण

2. बच्चे और परिवार को सामाजिक - भावनात्मक समर्थन

3. पूर्वस्कूली तैयारी-सुगम पहुँच

छह से चौदह वर्ष की आयु तक

1. रखरखाव / परिणामी जटिलताओं की रोकथाम

1. फिजियोथेरेपी
2. ऑक्यूपेशनल थेरेपी
3. स्पीच थेरेपी
4. सहायक उपकरण

2. आयु अनुरूप शिक्षा

1. कक्षा में उचित समावेशन
2. संशोधित पाठ्यक्रम

3. अन्य गतिविधियों में समान भागीदारी

1. अनुकूलित खेल
2. मनोरंजक गतिविधियों में बराबर परीभाग

चौदह से पच्चीस वर्ष की आयु तक

1. आयु अनुरूप शिक्षा / कौशल विकास

1. संशोधित पाठ्यक्रम
2. व्यवसायिक प्रशिक्षण
3. कार्य स्थल पर समावेशन
4. क्षमता के अनुसार कार्य
5. व्यक्तिगत निर्णय लेने के अधिकार

पच्चीस वर्ष से अधिक आयु

1. सामाजिक गतिविधियों में समान भागीदारी

- विवाह और परिवार से संबंधित अधिकार
- पैरवी
- राजनीतिक भागीदारी
- रोजगार के समान अधिकार
- न्याय के अधिकार
- बुनियादी ढांचे में परिवर्तन - सुगम पहुँच

20. Muscular Dystrophy


“Muscular Dystrophy” means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterised by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue;

Major Types


1. Duchenne 2 Baker 3. Spinal

There are many other types also exist that can affect different parts of the body

Main stages



Main characteristics



Management Options

➤ Ambulatory stage

- Goal planning based on the condition
- Family awareness
- Exercises to improve lung capacity
- Age appropriate education
- Genetic counseling
- Physiotherapy

➤ Wheelchair stage

- Physiotherapy (to prevent further complications)
- Assistive devices
- Exercises to improve lung capacity
- Right diet / weight management

20. पेशीयदुष्पोषण

पेशीय दुष्पोषण से वंशानुगत आनुवांशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को संचालित करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है।


रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है।

प्रमुख प्रकार

1. ड्यूशेन
2. बेकर
3. स्पाइनल

और कई अन्य प्रकार भी मौजूद हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करते हैं।

मुख्य चरण - Duration




उपलब्ध उपचार ➤ एम्बुलेटरी चरण

- स्थिति अनुरूप थेरेपी का लक्ष्य निर्धारित करना
- परिवारिक जागरूकता
- फेफड़ों संबंधित व्यायाम
- आयु उपयुक्त शिक्षा
- आनुवांशिक परामर्श
- फिजियोथेरेपी

➤ व्हीलचेयर चरण


- फिजियोथेरेपी (आगे की जटिलताओं को रोकने के लिए)
- सहायक उपकरण
- फेफड़ों संबंधित व्यायाम
- उचित आहार/वजन को नियंत्रित रखना

मुख्य लक्षण



21. Specific Learning Disability

Specific learning disabilities means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations and include such condition as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, discalculia, dysparexia and developmental aphasia.



Main causes

Internal :

- Genetic
- Physical
- Medical
- Brain related

External:


- lack of experience
- Lack of exposure
- Family / social barriers

Effective strategies

- Support from resource teachers/special educators
- Individual education programmes to promote inclusive education
- Appropriate classroom adjustments with the help of assistive devices and technology
- Occupational therapy and Physiotherapy
- Medications and counselling for problems such as anxiety and depression
- Community awareness & social inclusion
- Understand the child in non judgmental way

21. विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताएं

स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने की कमी विद्यमान होती है। जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितिय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अन्तर्गत बौद्धिक दिव्यांगता, डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेथिया और विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थितियाँ भी हैं:



मुख्य कारण

आंतरिक:

- आनुवांशिक
- मेडिकल
- भौतिक
- मस्तिष्क से संबंधित

बाहरीय :

- अनुभव की कमी
- पारिवारिक / सामाजिक बाधाएँ
- अवसरों की कमी

प्रभावी रणनितियाँ

- विशेष शिक्षक व रिसोर्स टीचर्स द्वारा मदद
- बच्चे की समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम
- सहायक उपकरणों तथा टेक्नोलॉजी की मदद से कक्षा में उचित समायोजन
- ऑक्यूपेशनल तथा फिजियोथेरेपी
- घबराहट व अवसाद जैसी समस्याओं के लिए दवाएँ तथा परामर्श
- सामाजिक समावेशन एवं जागरूकता अभियान
- बच्चे को समझने की कोशिश करना

National Education Policy 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020



समान और समावेशी शिक्षा

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित न रह जाए। इसके तहत विशेष जोर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों (एस ई डी जी) पर रहेगा जिसमें बालक – बालिका, सामाजिक – सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधी विशिष्ट पहचान एवं दिव्यांगता शामिल है इसमें बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक – बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना भी शामिल है। दिव्यांग बच्चों को बुनियादी चरण से लेकर उच्च शिक्षा तक की नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जायेगा जिसमें शिक्षा विशारद का पूरा सहयोग मिलेगा और साथ ही दिव्यांगता संबंधी समस्त प्रशिक्षण, संसाधन केन्द्र, आवास, सहायक उपकरण, प्रौद्योगिकी आधारित उपयुक्त उपकरण और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सहायक व्यवस्थाएँ भी उपलब्ध कराई जायेंगी। प्रत्येक राज्य जिले को कला-संबंधी, कैरियर-संबंधी और खेलकूद-संबंधी गतिविधियों में विद्यार्थियों के भाग लेने के लिए दिन के समय वाले एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में 'बाल भवन' स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। स्कूल की निःशुल्क बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का उपयोग सामाजिक चेतना केन्द्रों के रूप में किया जा सकता है।

भारतीय संकेत भाषा (ISL) यानी साईन लैंग्वेज को देश भर में मानकीकृत किया जायेगा और बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जायेगी।

Highlights of National Education Policy 2020

Focus on Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs)

SEDGs can be broadly categorized based on:


Gender identities (particularly female and transgender individuals),

Socio-cultural identities (such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs, and minorities),

Geographical identities (such as students from villages, small towns, and aspirational districts),

Disabilities (including learning disabilities), and

Socio-economic conditions (such as migrant communities, low income households, children in vulnerable situations, victims of or children of victims of trafficking, orphans including child beggars in urban areas, and the urban poor).



Separate strategies will be formulated for focused attention for reducing each of the category-wise gaps in school education.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिन्दु

सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) पर विशेष ध्यान

SEDG को निम्न तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है:


लिंग पहचान (विशेषकर महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति)

सामाजिक सांस्कृतिक पहचान (जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछडा वर्ग और अल्पसंख्यकों)

भौगोलिक पहचान (जैसे गांवों के छात्र, छोटे कस्बे, और आकांक्षात्मक जिले)

दिव्यांगता (सीखने की अक्षमता सहित) और

सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ (जैसे कि प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, कमजोर स्थितियों में बच्चे, तस्करी के शिकार लोगों के बच्चे या शहरी क्षेत्रों में बाल भिखारी, अनाथ बच्चे और शहरी गरीब)



स्कूली शिक्षा में प्रत्येक श्रेणी-वार अन्तराल को कम करने के लिए और ध्यान केन्द्रित करने के लिए अलग रणनीति तैयार की जायेगी।

Supporting Children with Special Needs (CWSN)

Regular Schooling

Children with special needs will be integrated in the regular schooling process from elementary to higher education levels.

Modules

NIOS will develop high-quality modules to teach Indian Sign Language.

Certificate Courses

Certificate courses for pre-service and in-service teachers to become special educators.



Enabling Mechanisms

Enabling mechanisms for CWSN or Divyang to receive quality education.

Assistive Devices and Orientation to Parents

Technology enabled assistive devices/tool for CWSN and orientation of the tools/devices for parents/caregivers.

Alternative Schools

Alternative forms of schools will be encouraged to preserve the alternative pedagogical styles Supporting Children with Special Needs (CWSN).

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समर्थन करना (CWSN)

नियमित स्कूली शिक्षा

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को प्राथमिक से उच्च शिक्षा के स्तर तक नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में एकीकृत किया जायेगा

मॉड्यूल

NIOS भारतीय सांकेतिक भाषा सिखाने के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले माड्यूल विकसित करेगा

सर्टिफिकेट कोर्स

पूर्व शिक्षकों और सेवा में शिक्षकों को विशेष शिक्षक बनने के लिए प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

01

02

03

04

05

06

मैकेनिज्म को सक्षम करना

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र या दिव्यांगजन के लिए शिक्षा तंत्र सक्षम करना

माता-पिता के लिए सहायक उपकरण और अभिविन्यास

सहायक उपकरणों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना तथा माता-पिता/देखभाल करने वालों को इन उपकरणों का उन्मुखीकरण करना।

वैकल्पिक स्कूल

वैकल्पिक शैक्षणिक शैली को संरक्षित करने के लिए स्कूलों के वैकल्पिक रूपों को प्राप्ताहित किया जायेगा

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समर्थन करना

Support For Gifted Students / Students With Special Talents

Encourage gifted/talented students

Pursue realm beyond the general school curriculum

Project-based **clubs** to be encouraged and supported at all levels in schools

Olympiads and competitions in various subjects to be conducted across the country



Efforts for interventions in **rural areas and in regional languages** to ensure widespread participation

Extensive use of technology to encourage talented/gifted children

NCERT and NCTE will develop guidelines for the education of gifted children

B.Ed. Programmes to allow specialisation in education of gifted children

विशेष प्रतिभा वाले प्रतिभाशाली छात्र / छात्राओं के लिए सहायता

विशेष प्रतिभा / प्रतिभाशाली छात्रों को सामान्य स्कूल से परे रुचिगत पाठ्यक्रम के लिए प्रोत्साहित करें।

व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तक्षेप के प्रयास

स्कूलों के सभी स्तरों पर परियोजना आधारित क्लबों को समर्थन, और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

विशेष प्रतिभा / प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग

देश भर में ओलंपियाड और विभिन्न विषयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा

एनसीईआरटी और एनसीटीई, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए दिशानिर्देश विकसित करेंगे

प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा में विशेषज्ञता की अनुमति देने के लिए बी.एड कार्यक्रम



Online and Digital Education

Inclusion and Access

Enhance Educational Access To Disadvantaged Group including Divyang Students

Digital Platforms

Digital platforms and ongoing ICT- based educational initiatives to be optimized and expanded

Blended Learning

Emphasis on effective models of blended learning

Pilot Studies

A series of pilot studies to be conducted

Content Creation

Content creation, digital repository, and dissemination. Technology Integration In Teaching, Learning & Assessment

Expansion of Platforms

Expansion of existing e-learning platforms - DIKSHA, SWAYAM, etc.



**ONE NATION
ONE DIGITAL PLATFORM**

POWERED BY

FREE ONLINE EDUCATION

swayam

शिक्षित भारत, ज्ञानत भारत



ऑनलाइन और डिजीटल शिक्षा

समावेश और पहुँच

दिव्यांग छात्रों सहित वंचित समूहों के लिए शैक्षिक पहुँच बढ़ाएँ

डिजीटल प्लेटफॉर्म

डिजीटल प्लेटफॉर्म और चल रहे आइसीटी आधारित शैक्षिक पहल को अनुकूलित और विस्तारित किया जाना है

मिश्रित अध्ययन

सीखने के प्रभावी मिश्रित मॉडल पर जोर

पायलट अध्ययन

पायलट अध्ययन की एक श्रृंखला आयोजित की जानी है

सामग्री निर्माण

सामग्री निर्माण, डिजीटल भंडार, और प्रसार शिक्षण, सीखने और आंकलन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण

प्लेटफार्मों का विस्तार

मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफार्मों का विस्तार – DIKSHA, SWAYAM, आदि

ONE NATION
ONE DIGITAL PLATFORM

POWERED BY

FREE ONLINE EDUCATION

swayam

शिक्षित भारत, उन्नत भारत





Schemes and Benefits for Persons with Disabilities

दिव्यांगजनों के लिए योजनाएँ एवं लाभ

Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana

Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) is a pioneer programme initiated by Prime Minister Modi to ensure that the lower section of the society, the poor and vulnerable population get proper health cover. You can apply for Ayushman Bharat Yojana apply online. Here is how you can register for Ayushman Bharat Yojana.

Here is a step by step guide how you can apply for Ayushman Bharat Yojana.

- 1: Visit Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana official website, mera.pmjay.gov.in.
- 2: Now you have to log on to the government website.
- 3: On the home page enter your mobile number.
- 4: Just below that you will see the captcha, enter the captcha in the empty box.
- 5: After that click on Generate OTP option.
- 6: An OTP number will be sent to your mobile, by which you can go to the website and verify.

Complete the necessary detail to get the most benefits out of this scheme.

Note: After your name is registered on the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) website, with the help of your ration card or mobile number, you can know that you are not getting the benefit of this scheme.

So, these were some initial steps you need to follow for Ayushman Bharat Yojana (PM-JAY) registration.

After PM Ayushman Bharat Yojana registration you do not need to enrol anywhere to claim benefits under PMJAY Ayushman Bharat Yojana. You just need to get yourself identified at the nearest empanelled hospital or Community Service Centre (CSC).

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया एक अग्रणी कार्यक्रम है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के निचले तबके, गरीब और कमजोर लोगों को उचित स्वास्थ्य कवर मिले। आप आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यहाँ आप आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

यह चरण वह तरीकें हैं कि आप आयुष्मान भारत योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं

1. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की आधिकारिक वेबसाइट mera.pmjay.gov.in पर जाएं।
2. अब आपको सरकार की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।
3. होम पेज पर अपना मोबाईल नंबर डालें।
4. इसके ठीक नीचे आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा, खाली बॉक्स में कैप्चा कोड दर्ज करें।
5. इसके बाद Generate OTP ऑप्शन पर क्लिक करें।
6. आपके मोबाईल नंबर पर एक ओटीपी नंबर भेजा जायेगा, जिसके द्वारा आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और सत्यापन कर सकते हैं।

इस योजना से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक विवरण को पूरा करें।

नोट : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) वेबसाइट पर अपना नाम दर्ज होने के बाद, अपने राशन कार्ड या मोबाइल नंबर की मदद से, आप जान सकते हैं कि आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

इसलिए, आयुष्मान भारत योजना (PMJAY) पंजीकरण के लिए आपको कुछ प्रारंभिक चरणों का पालन करना होगा।

PM आयुष्मान भारत योजना पंजीकरण के बाद आपको PMJAY आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभों का दावा करने के लिए कहीं भी नामांकन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नजदीकी अस्पताल या सामुदायिक सेवा केन्द्र (सी एस सी) में खुद की पहचान सुनिश्चित कराएँ।

National Handicapped Finance Development Corporation

The National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC) is an apex corporation under the aegis of the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (PwD) of the Ministry of Social Justice and Empowerment and has been functioning since 1997.

It is registered as a not-for-profit company and provides financial assistance to PwDs / Persons with Disabilities (PwD / PwD) for their economic rehabilitation and empowering them to develop and sustain their enterprises. Provides a number of skill development programs.

The plans

1. Persons With Disabilities

The main objective of the scheme is to help the needy disabled persons by providing concessional loans for economic and overall empowerment.

Eligibility Criteria :

- Any Indian citizen with disability of 40% or more (disability as defined in RPWD Act, 2016 or amendments thereof).
- Above 18 years of age. However, in the case of persons with mental disabilities, the eligible age will be more than 14 years. Age criteria will not be required for educational loans. The age certificate issued by the competent authority authorized by the state government or as mentioned in the 10th certificate or any other certificate issued by the government will be the required document.

Loan Amount

The upper limit for extending concessional loans through various NHFDC schemes will be Rs 50.50 lakh per beneficiary / unit. The actual loan amount within the upper limit of Rs.50.0 lakh will be determined by the implementing agencies based on the activity / project requirements along with repaying the capacity of the borrower within the maximum repayment period. The rate of interest varies from 5 to 9% depending on the loan amount.

राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम

राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम (NHFDC) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वधान में सर्वोच्च निगम है और 1997 से कार्य कर रहा है।

यह एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है और दिव्यांगजनों के आर्थिक पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और उन्हें अपने उद्यमों को विकसित करने और सशक्त बनाने के लिए कई कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करता है।

योजनाएँ :

1. दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना

योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करके जरूरतमंद दिव्यांगजनों की मदद करना है

पात्रता मापदंड :

कोई भी भारतीय नागरिक 40% या उससे अधिक दिव्यांगता (RPWD) अधिनियम, 2016 में परिभाषित या उसके बाद की दिव्यांगता के साथ।

18 वर्ष से अधिक आयु हालांकि बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के मामलों में पात्रता आयु 14 वर्ष से अधिक होगी। शैक्षिक ऋणों के लिए आयु मानदंड की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आयु प्रमाण पत्र या जैसा कि 10 वीं प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा जारी किसी अन्य प्रमाण पत्र में उल्लेखित है, आवश्यक दस्तावेज होगा।

ऋण की राशि

विभिन्न NHFDC योजनाओं के माध्यम से रियायती ऋण का विस्तार करने की ऊपरी सीमा प्रति लाभार्थी / यूनिट 50.50 लाख रुपये होगी। 50.00 लाख रुपये की ऊपरी सीमा के भीतर वास्तविक ऋण राशि का निर्धारण क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा अधिकतम ऋण वापसी अवधि के भीतर उधारकर्ता की क्षमता को चुकाने के साथ गतिविधि / परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर किया जायेगा। ऋण की राशि के आधार पर ब्याज की दर 5% से 9% तक होती है।

2. Educational loan

- Any Indian citizen with 40% or more disability is eligible to apply through the agencies applying for education loan under NHFDC schemes.
- Loans up to Rs 10 lakh for studies in India and Rs 20 lakh for studies abroad are provided.
- The rate of interest for education loans is 4% for loans up to Rs. 20.00 lakhs. Students with disabilities are allowed a discount of 0.5% on education loan scheme.
- The maximum repayment period for educational loan is 7 years.

2. शैक्षिक ऋण

- 40% या अधिक दिव्यांगता वाला कोई भी भारतीय नागरिक NHFDC योजना के तहत शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने वाली एजेंसियों के माध्यम से आवेदन करने के लिए पात्र है।
- भारत में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये और विदेशों में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये तक के ऋण दिये जाते हैं।
- शिक्षा ऋण के लिए ब्याज की दर 20.00 लाख रुपये के ऋण के लिए 4% है। दिव्यांग छात्रों को शिक्षा ऋण योजना के ब्याज पर 0.5% की छूट दी जाती है।
- शैक्षिक ऋण के लिए अधिकतम ऋण वापसी अवधि 7 वर्ष है।

Scholarship for Persons with Disabilities

Pre matriculation

Pre-matric scholarship for students with disabilities

- The scheme has been launched by the Department of Disability Affairs during the financial year 2014-15.
- The scheme aims to provide financial assistance to parents of students with disabilities for studies at pre-matriculation level.
- Financial assistance includes scholarship, book grant, escort / reader allowance etc.
- The number of scholarships awarded every year for the pre-matriculation level is 46,000.
- Beneficiaries are selected on the basis of merit following the recommendation of the governments of the state or union territories.

Post matric

Post Matric Scholarship for Students with Disabilities

- The scheme has been launched by the Department of Disability Affairs during the financial year 2014-15.
- The scheme aims to provide financial assistance to parents of students with disabilities for matriculation level studies.
- Financial assistance includes scholarship, book grant, escort / reader allowance etc.
- The number of scholarships awarded every year for the post matriculation level is 16,650.
- Beneficiaries are selected on the basis of merit after the recommendation of the State or Union Territory Governments.

Scholarship Scheme from Trust Fund

- The scheme aims to provide financial assistance to differently-abled students to enable them to pursue degree and / or postgraduate level technical and professional courses from a recognized institution.
- There is a provision of 2500 scholarships every year.
- Maintenance allowance, book / stationery allowance and grants for the purchase of assistive devices are deposited in the student's account. Non-refundable fees are reimbursed to the student upon production of proof of depositing fees or paid directly to the institution under notice to the student.

दिव्यांगजन के लिए छात्रवृत्ति

प्री मैट्रिकुलेशन

दिव्यांग छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति

- इस योजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया है।
- योजना का उद्देश्य प्री-मैट्रिक स्तर पर पढ़ाई के लिए दिव्यांग छात्रों के माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- वित्तीय सहायता में छात्रवृत्ति, पुस्तक अनुदान, एस्कार्ट / रीडर भत्ता आदि शामिल है।
- प्री-मैट्रिक स्तर के लिए हर साल दी जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या 46,000 है।
- राज्य या केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों की सिफारिश के बाद योग्यता के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाता है।

पोस्ट मैट्रिक

दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

- इस योजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया है।
- इस योजना का उद्देश्य मैट्रिक स्तर के अध्ययन के लिए दिव्यांग छात्रों के माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- वित्तीय सहायता में छात्रवृत्ति, पुस्तक अनुदान, एस्कार्ट / रीडर भत्ता आदि शामिल है।
- पोस्ट मैट्रिक स्तर के लिए हर साल दी जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या 16,650 है।
- लाभार्थियों का चयन राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों की सिफारिश के बाद योग्यता के आधार पर किया जाता है।

ट्रस्ट फंड से छात्रवृत्ति योजना

- इस योजना का उद्देश्य मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री और / या स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग दिव्यांग छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- हर साल 2500 छात्रवृत्तियों का प्रावधान है।
- सहायक उपकरणों की खरीद के लिए रख-रखाव भत्ता, पुस्तक / स्टेशनरी भत्ता और अनुदान छात्र के खाते में जमा किये जाते हैं। छात्र को नोटिस के तहत फीस जमा करने या संस्थान को सीधे भुगतान करने के प्रमाण के उत्पादन पर गैर वापसी योग्य प्रतिपूर्ति की जाती है।

Scholarship Scheme from National Fund

Under the National Scholarship Scheme for Persons with Disabilities, 500 new scholarships are awarded every year to pursue post matriculation professional and technical courses of more than one year duration. However, in relation to students with cerebral palsy, Intellectual disabilities, multiple disabilities, and severe or severe hearing loss, scholarships are awarded to study from Class 9th after. Advertisements inviting applications for scholarships are placed in national / regional newspapers in the month of June and also placed on the website of the Ministry. The State Government / UT Administrations are also requested to give wide publicity to the scheme.

Students with 40% or more disability whose monthly family income is Rs. Not exceeding Rs 15,000 / - are eligible for the scholarship. Scholarship of Rs. 700 / - per month per day scholars and Rs. 1,000 / - per month hostels are offered to students of undergraduate and postgraduate level technical or vocational courses. A scholarship or Rs. 400 / - per month to scholars and Rs. 700 / - per month is offered to the hostels for diploma and certificate level business courses.

Apart from the scholarship, the students are reimbursed the course fee subject to a limit of Rs. 10,000 / - per year. Financial assistance under the scheme is also provided for computers with editing software for blind / deaf undergraduate and postgraduate students who pursue professional courses and use support software for students with cerebral palsy.

Eligibility

1. Financial assistance will be available to at least 40% of disabled Indian students certified as defined by the Persons with Disabilities Act 1995.
2. Financial assistance will be given from recognized institutions to pursue post-matriculation / post-secondary technical and professional courses including Ph.D. and M.Phil. However, for students with disabilities like cerebral palsy, mental retardation, multiple disabilities and profound or severe hearing loss, the minimum educational qualification will be class VIII pass and they will be awarded scholarships to pursue general, technical or vocational courses.
3. A student will be awarded a scholarship for only one course.

राष्ट्रीय कोष से छात्रवृत्ति योजना

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत, एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद मैट्रिकुलेशन पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हर साल 500 नई छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। हालांकि मस्तिष्क पक्षाघात, बौद्धिक दिव्यांगता, बहु दिव्यांगता और गहन या गंभीर सुनवाई हानि के साथ छात्रों के संबंध में कक्षा 9 से अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उपरांत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापनों को जून महीने में राष्ट्रीय / क्षेत्रीय समाचार पत्रों में रखा जाता है और मंत्रालय की वेबसाइट पर भी रखा जाता है राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से भी योजना का व्यापक प्रचार करने का अनुरोध किया जाता है।

40% या अधिक दिव्यांगता वाले छात्र जिनकी मासिक पारिवारिक आय 15,000/- से अधिक नहीं है छात्रवृत्ति के लिए पात्र है छात्रवृत्ति 700/- प्रति माह प्रति डे स्कालर और रु. 1000/- प्रति माह हॉस्टल स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी या व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को प्रदान किया जाता है। एक छात्रवृत्ति या रु. 400/- प्रति माह डे स्कालर और रु. 700/- प्रति माह डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवासों को प्रदान किया जाता है।

छात्रवृत्ति के अलावा छात्रों को रु. 10,000/- प्रति वर्ष की सीमा तक पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता नेत्रहीन / बधिर स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सम्पादन सॉफ्टवेयर के साथ कम्प्यूटर के लिए भी प्रदान की जाती है, जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं और मस्तिष्क पक्षाघात वाले छात्रों के लिए समर्थन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं।

पात्रता

1. दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत परिभाषित कम से कम 40% दिव्यांग भारतीय छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।
2. पीएचडी और एम.फिल सहित मैट्रिक / पोस्ट –सेकेंडरी तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों से वित्तीय सहायता दी जायेगी। हालांकि सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता, बहु दिव्यांगता और गहन या गंभीर सुनवाई हानि वाले दिव्यांग छात्रों के लिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठवीं पास होगी और उन्हें सामान्य तकनीकी, या व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
3. एक छात्र को केवल एक पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्रदान किया जायेगा।

4. Financial assistance can be provided for computers with editing software for blind / deaf undergraduate and postgraduate students and for professional courses and support software for cerebral palsy students.
5. Continuation / renewal of award for the following year will depend on successful completion of the course in the preceding year with a minimum of 50 (fifty) percent marks.
6. Assistance under this scheme is for post matriculation / post secondary technical / professional course for a period of not less than one year.
7. Under this scheme one scholarship holder will not give other scholarship / stipend concurrently. If already awarded another scholarship / stipend, the student is required to exercise his / her option to choose the scholarship that he / she avails and informs the authority about the same.
8. The monthly family income of the beneficiary should not exceed Rs. 15,000 / - from all sources. Family income includes parent / guardian income.

4. अंधे / बधिर स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए संपादन सॉफ्टवेयर के साथ कम्प्यूटर और सेरेब्रल पाल्सी वाले छात्रों के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रमों और समर्थन सॉफ्टवेयर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।
5. अगले वर्ष के लिए पुरस्कार का निरंतरता / नवीनीकरण कम से कम 50 (पचास) प्रतिशत अंकों के साथ पूर्ववर्ती वर्ष में पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर निर्भर करेगा।
6. इस योजना के तहत सहायता पोस्ट मैट्रिकुलेशन / पोस्ट सेकेंडरी टेक्निकल / प्रोफेशनल कोर्स के लिए एक वर्ष से कम की अवधि के लिए नहीं है।
7. इस योजना के तहत एक छात्रवृत्ति धारक समवर्ती अन्य छात्रवृत्ति / वजीफा नहीं देगा। यदि पहले से ही किसी अन्य छात्रवृत्ति / वजीफा से सम्मानित किया जाता है, तो छात्र को छात्रवृत्ति का चयन करने के लिए अपने विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जिसका वह लाभ उठा सकता है और उसी के बारे में अधिकार देने को सूचित करता है।
8. लाभार्थी की मासिक पारिवारिक सभी स्रोतों से आय 15000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार की आय में माता-पिता / अभिभावक की आय शामिल है।

Scholarship details

Up to five hundred awards are to be given annually through institutions in which students are pursuing studies/courses. Scholarship will be given to different categories of disabled students as under:

- Students with orthopedic disability
- Students with blindness or low vision
- Students with hearing disabilities
- Students with cerebral palsy, Intellectual Disabilities, multiple disabilities, profound or severe hearing loss

Amount of scholarship will vary among courses and will also depend on availability of hostel/residential facility with the institution. The details are given below:

S. No.	Courses of Study	Rate of scholarship hostellers (Rs / month)	Day scholars (Rs / month)
1.	PhD / M. Phil and post graduate/graduate level courses in Engineering / Indian and other systems of medicine / Agriculture / Veterinary / IT / Biotechnology, Education Management / Architecture, Physiotherapy, Music and other professional courses	1000	700
2.	Diploma and certificate level professional courses	700	400
3.	In respect of students with cerebral palsy, mental retardation, multiple disabilities and profound or severe hearing impairment, for pursuing general / professional / technical / vocational courses after class VIII	700	400

- Students will also be reimbursed the course fee subject to a limit of Rs. 10,000/- per year.
- In addition to the students residing in the hostel / residential facility provided by the institutes, those students will also be considered hostellers, who live in accommodation by a group of at least 3 students who live together. Such students will have to produce a certificate in this regard which is countered by the head of the institute and a certificate from the owner of the house in case of rented arrangement or accommodation.

छात्रवृत्ति वितरण

हर साल पाँच सौ पुरस्कार दिये जाते हैं, जिन संस्थानों में छात्र अध्ययन कर रहे हैं / कोर्स कर रहे हैं। निम्नलिखित के अनुसार दिव्यांग छात्रों की विभिन्न श्रेणियों को छात्रवृत्ति दी जायेगी :

- शारीरिक दिव्यांगता वाले छात्र
- दृष्टिहीनता या कम दृष्टि वाले छात्र
- सुनने की अक्षमता वाले छात्र
- सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता, बहु दिव्यांगता, गहन या गंभीर सुनवाई हानि वाले छात्र

छात्रवृत्ति की राशि पाठ्यक्रमों में भिन्न होगी और संस्थान के साथ छात्रावास / आवासीय सुविधा की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगी। विवरण नीचे दिये गए हैं।

क्र० सं०	पाठ्यक्रमा	छात्रवृत्ति छात्रावास अध्ययन दर (₹0/माह)	दिन का छात्र (₹0 / माह)
1.	पीएचडी/एम.फिल/इंजीनियरिंग और इंडियन/मेडिकल/एग्रीकल्चर/वेटेरिनरी/आईटी/बायोटेक्नॉलॉजी/एजुकेशन मैनेजमेन्ट/आर्किटेक्चर/फिजियोथेरेपी/स्यूजि क और अन्य बिजनेस कोर्स के लिए	1000	700
2.	डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर के पेशेवर पाठ्यक्रम	700	400
3.	कक्षा आठवीं के बाद सामान्य /व्यवसायिक/ तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक दिव्यांग, कई दिव्यांग और गहन या गंभीर सुनवाई हानि वाले छात्रों के बारे में	700	400

- छात्रों को 10,000/- प्रति वर्ष रुपये की सीमा के अधीन पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जायेगी।
- संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रावास/आवासीय सुविधा में रहने वाले छात्रों के अलावा, उन छात्रों को भी हॉस्टलर्स माना जायेगा, जो कम से कम 3 छात्रों के समूहों द्वारा आवास में एक साथ रहते हैं। ऐसे छात्रों को इस संबंध में प्रमाण पत्र का उत्पादन करना होगा जो संस्थान के प्रमुख द्वारा कांउटर किया गया है और किराए पर ली गई व्यवस्था या आवास के मामले में घर के मालिक से एक प्रमाण पत्र है।

Scholarship details (List of Enclosures)

- Academic records (attested copy of certificates and Mark sheets - matric & above),
- Family Income Certificate / Proof of annual income, e.g. Salary Slip, last Income tax Assessment order,
- Attested copy of Disability Certificate
- Course fee receipt (if any) with breakup of each item duly paid during the academic session
- Hostel Certificate or certificate from the house owner in case of accommodation hired by at least by a group of 3 students living together with common mess arrangements.
- Applications for the scholarship may be sent to the Section Officer (DD-IV), Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhavan, New Delhi-110 001. A Student should submit only one application along with all the relevant documents together with recommendations of the Institute concerned.

Applications for the award of the scholarship will be counted and recommended by the head of the institution in which the applicant is enrolled for study. The details and forms can also be downloaded from the website of the Ministry www.socialjustice.nic.in or can be obtained from DD-IV Section, Ministry of Social Justice and Empowerment, Room No. 242, "A" Wing, Shastri Bhawan, New Delhi. - 110,001.

Postgraduate

Scholarship for upper class education for students with disabilities studying in major higher educational institutions (eg IIT, IIM, NIT)

- The scheme covers students with disabilities (self) to study at the level of postgraduate degree or diploma in any discipline.

National Fellowship for Students with Disabilities

- Fellowship for students with disabilities is a fellowship scheme to pursue M.Phil / Ph.D. Courses in any university recognized by University Grants Commission (UGC).
- The number of fellowships awarded is 200 per year.
- The scheme is effective from 2012-13.

अनुलग्नकों की सूची (सत्यापित प्रतियाँ)

- शैक्षणिक रिकार्ड (प्रमाण पत्र और मार्कशीट की सत्यापित प्रति – मैट्रिकुलेशन और ऊपर)
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र / वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जैसे :- वेतन पर्ची, अन्तिम आय निर्धारण आदेश
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
- पाठ्यक्रम शुल्क रसीद (यदि कोई हो) शैक्षणिक सत्र के दौरान भुगतान की गई हर चीज के विच्छेद के साथ कम से कम 3 छात्रों के एक समूह द्वारा आवास के मामले में घर के मालिक से हॉस्टल सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र जो सामान्य रसोई व्यवस्था के साथ एक साथ रह रहे हैं।
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन अनुभाग अधिकारी (डीडी-IV), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110 001 को भेजे जा सकते हैं। एक छात्र को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ संबंधित संस्थान के सिफारिशों के साथ केवल एक आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।।

छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए आवेदन संस्थान के प्रमुख द्वारा गिना और अनुशासित किया जायेगा जिसमें आवेदक को अध्ययन के लिए नामांकित किया गया है। विवरण और प्रपत्र मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं या डीडी-IV अनुभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा नं0 242, "ए" विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली 110 001 से प्राप्त किये जा सकते हैं।

स्नातकोत्तर

प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों (जैसे IIT, IIM, NIT) में अध्ययन करने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति

- यह योजना किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा के स्तर पर अध्ययन करने के लिए दिव्यांग (स्वयं) छात्रों को शामिल करती है।

दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप

- दिव्यांग छात्रों के लिए फेलोशिप M.Phil / Ph.D को आगे बढ़ाने के लिए फेलोशिप योजना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम
- सम्मानित किये गए फेलोशिप की संख्या प्रति वर्ष 200 है।
- यह योजना 2012-2013 से प्रभावी है।

- Fellowship amount ranging from Rs. 25,000 / - to Rs. 28,000 / - per month. In addition, there are provisions for Escort / Reader Allowance and House Rent Allowance (wherever applicable).
- Fellowship duration: 2 years for M.Phil and 5 years for Ph.D.
- The candidates are selected by the UGC.
- The fellowship amount is disbursed by the Department of Disability Affairs through Canara Bank which is designated for this purpose. The fellowship amount is remitted directly to the bank accounts of the selected candidates by Canara Bank.

National Migrant Scholarship for Disabled Students (NOS)

- The National Migrant Scholarship Scheme for Disabled Students has been launched with the objectives of providing financial assistance to students with disabilities for studying abroad at the level of masters degree and PhD.
- Twenty (20) scholarships are to be awarded per year, out of which six are reserved for women candidates.
- Scholarship amount includes maintenance allowance, contingency allowance, tuition fee and air passage cost etc.

The said scheme has been launched in the year 2014-15. In addition to the above, there is a "passage grant" for students with disabilities every year.

- Only those students with disabilities who are receiving postgraduate / merit scholarships for study, research or training abroad (except attending a seminar, workshops, conferences), from a foreign government / organization or any other scheme. Under, where the cost has not been provided, will be eligible.
- Passage grant includes airfare from home to station abroad by economy class through Air India.

- फेलोशिप राशि रूपये 25,000/- से रूपये 28,000/- प्रति माह। इसके अलावा एस्कॉर्ट / रीडर भत्ता और हाउस रेंट भत्ता (जहाँ भी लागू हो) के प्रावधान हैं।
- फेलोशिप की अवधि एम.फिल के लिए 2 साल और पीएचडी के लिए 5 साल है।
- आवेदक UGC द्वारा चयनित होते हैं।
- फेलोशिप राशि का वितरण दिव्यांगता मामलों के विभाग द्वारा केनरा बैंक के माध्यम से किया जाता है जो इस उद्देश्य के लिए नामित है। फेलोशिप राशि सीधे केनरा बैंक द्वारा चयनित उम्मीदवारों के बैंक खातों में भेज दी जाती है।

दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति (NOS)

- दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना का शुभारम्भ स्नातकोत्तर डिग्री और पीएचडी के स्तर पर विदेश में अध्ययन के लिए दिव्यांग छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।
- प्रति वर्ष बीस (20) छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है, जिनमें से छह महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।
- छात्रवृत्ति राशि में रखरखाव भत्ता, आकस्मिक भत्ता, ट्यूशन शुल्क और हवाई मार्ग लागत आदि शामिल है।
- युक्त योजना वर्ष 2014-15 में शुरू की गई है। उपरोक्त के अलावा हर साल दिव्यांग छात्रों के लिए "पारितोषिक अनुदान" है।
- केवल वे छात्र जो दिव्यांग हैं, जो किसी विदेशी सरकार / संगठन या किसी अन्य योजना से विदेश में अध्ययन, अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए स्नातकोत्तर / योग्यता छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं (एक सेमिनार, कार्यशालाओं, सम्मेलनों में भाग लेने के अलावा) के तहत, जहाँ लागत प्रदान नहीं की गई है पात्र होंगे।
- पारितोषिक अनुदान में एयर इंडिया के माध्यम से अर्थव्यवस्था वर्ग श्रेणी में घर से हवाई अड्डे तक की यात्रा का खर्च शामिल है।

FINANCIAL ASSISTANCE TO DESTITUTE CHILDREN SCHEME (FADC)

This is a State Scheme under which parents/guardians of the children upto the age of 21 years who are deprived of proper care because of the death or long imprisonment of their parents, long illness or mental retardation, are paid financial assistance subject to the maximum for two children of one family as per eligibility criteria laid down in the scheme.

Rate of Allowance:

₹ 900 per month per child subject to the maximum for two children of one family

Eligibility Criteria:

- i.) Child under twenty-one years of age who has been deprived of parental support or care by reason of death, continued absence from the home of his father for the last 2 years, or father/mother has been sentenced imprisonment for a period not less than one year or physical or mental incapacity of a parent.
- ii.) Income of parents/guardians should not exceed 2,00,000 per annum;
- iii.) Benefit up to two children of a family only

निराश्रित बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए वित्तीय सहायता (FADC)

यह एक राज्य योजना है जिसके तहत 21 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता-पिता/अभिभावक जो अपने माता-पिता की मृत्यु या लम्बे समय तक कैद, लम्बी बिमारी या बौद्धिक दिव्यांगता के कारण उचित देखभाल से वंचित हैं, एक परिवार के दो बच्चों के लिए अधिकतम सहायता योजना में वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाता है।

भत्ते की दर

रूपये 900 प्रति माह प्रति बच्चा एवं अधिकतम एक परिवार के दो बच्चों के लिए

पात्रता मानदंड :

- 1) इक्कीस वर्ष से कम आयु का बच्चा जो मृत्यु के कारण माता-पिता के समर्थन या देखभाल से वंचित हो, पिछले 2 वर्षों से अपने पिता के घर से अनुपस्थित हो, या पिता/माता को कारावास की सजा सुनाई गई हो। एक वर्ष से कम या माता-पिता की शारीरिक या बौद्धिक दिव्यांगता के लिए हैं।
- 2) माता-पिता/अभिभावकों की आय प्रति वर्ष 2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 3) एक परिवार के केवल दो बच्चों को लाभ।

FINANCIAL ASSISTANCE TO NON-SCHOOL GOING DISABLED CHILDREN(< 18 YEARS)

Under this scheme mentally retarded and multiple disabled children who are in the age group of 0-18 years who are not able to attend formal education, training etc. Due to their disability is given financial aid. They are totally dependent on their parents and relatives and need constant supervision and care of their families. Financial Assistance shall be admissible under the scheme to every such disabled child in the family of the applicant.

Rate of Allowance: ₹ 1,650 per month

Eligibility Criteria:

- i.) Domicile of Haryana.
- ii.) Children with Intellectual Impairment IQ < 50 or 70% disability or above.
- iii.) With cerebral palsy, autism, multiple disability of 70% or more.
- iv.) Orthopaedic disability of 100%.

ALLOWANCE TO DWARFS

Dwarf persons who are living in various parts of the Haryana State are being given allowance. A male person with 3 feet 8 inches or less height and a female with 3 feet 3 inches or less height (equivalent to 70% handicapped) is entitled to monthly allowance.

Rate of Allowance: ₹ 2,250 per month

Eligibility Criteria

- i) The applicant shall be a Domicile of Haryana State and has been residing in Haryana State for the last one year at the time of submission of application.
- ii.) The age of the applicant shall not be less than 18 years.
- iii.) The applicant must give a certificate from the Civil Surgeon in support of being Dwarf.

स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (<18 वर्ष)

इस योजना के तहत बौद्धिक दिव्यांग और दूसरे दिव्यांग बच्चों जो 0-18 वर्ष की आयु वर्ग में हैं, जो अपनी दिव्यांगता के कारण औपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण आदि में शामिल नहीं हैं, उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है। ये बच्चों पूरी तरह से अपने माता-पिता और रिश्तेदारों पर निर्भर होते हैं और उन्हें अपने परिवार की निरंतर देख-रेख और देखभाल की आवश्यकता होती है। आवेदक के परिवार में ऐसे हर दिव्यांग बच्चों को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता स्वीकार्य होगी।

भत्ते की दर : ₹ 1,650 प्रति माह

पात्रता मानदंड :

- i) हरियाणा का अधिवास
- ii) बौद्धिक दिव्यांग बच्चों IQ < 50 के साथ या 70% दिव्यांगता या उससे अधिक
- iii) सेरेब्रल पाल्सी, स्वपरायणता, 70% या अधिक की कोई दिव्यांग के साथ
- iv) 100% गति विषयक दिव्यांगता

बौनापन भत्ता

हरियाणा राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले बौने व्यक्तियों को भत्ता दिया जाता है। 3 फीट 8 इंच या उससे कम ऊँचाई वाला पुरुष और 3 फीट 3 इंच या उससे कम ऊँचाई वाली महिला (70% विकलांगों के बराबर) मासिक भत्ते की हकदार हैं।

भत्ते की दर : 2,250 रुपये प्रति माह

पात्रता मानदंड

- i) आवेदक हरियाणा राज्य का अधिवास होगा और आवेदन के समय में हरियाणा में निवास कर रहा है प्रस्तुत करने के समय पिछले एक वर्ष के लिए आवेदन।
- ii) आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- iii) आवेदक के समर्थन में सिविल सर्जन द्वारा बौनेपन का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए।

DISABILITY PENSION SCHEME

This is a State scheme under which disabled person of Haryana domicile with a minimum 60% disability and are 18 years of age and above, are given pension as per eligibility criteria laid down in the rules of the scheme.

Rate of Allowance: 2,250 per month

A. Eligibility Criteria:

- Age 18 years and above.
- Domicile of Haryana & residing in Haryana for the last 3 years at the time of submission of application.
- Self income from all sources should not exceed the minimum wages of unskilled labour as notified by the Labour Department.
- Disability ranging from 60-100%
- Total absence of sight.
- Visual acuity not exceeding 3/60 to 10/200 (snellen) in the better eye with correcting lenses.
- A loss of sense of hearing to the extent that it is non-functional for the ordinary purposes of life.
- Orthopaedic disabled with a permanent disability of 60% and above.e) Mental Retardation with I.Q. not exceeding 50.

B. Exclusion:

“Pension” wherever occurring in any Government notification concerning Social Security Benefits means and includes, income received or accrued from accumulated earnings, including schemes:

*Provident Funds, or

*Annuities from any source including Commercial Banks, Financial Institutions or Insurance

दिव्यांगता पेंशन योजना

यह एक राज्य योजना है जिसके तहत न्यूनतम 60% दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष है वे हरियाणा के अधिवासी हैं, उन्हें योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार पेंशन दी जाती है।

भत्ते की दर : 2250 रुपये प्रति माह

क. पात्रता मानदंड

- उम्र 18 वर्ष और उससे अधिक।
- हरियाणा का अधिवास और आवेदन जमा करने के समय पिछले 3 वर्षों से हरियाणा में निवास कर रहा है।
- सभी स्रोतों से स्वयं की आय श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 60-100% दिव्यांगता
- पूर्ण रूप से दृष्टिहीन
- लेंस को सही करने के साथ बेहतर आँख में दृश्य परिचितता 3/60 से 10/200 (स्नेलन) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस हद तक श्रवण हास जिससे रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हो
- 60% और उससे अधिक की स्थाई गतिविषयक दिव्यांगता

ख. बहिष्करण :

“पेंशन” जहाँ भी सामाजिक सुरक्षा लाभ से संबंधित किसी भी सरकारी अधिसूचना में घटित होती है और इसमें संचित आय से प्राप्त या अर्जित की जाती है, जिसमें योजनाएँ शामिल हैं :

*भविष्य निधि

*वणिज्यिक बैंकों सहित किसी भी स्रोत से वार्षिकियों वित्तीय संस्थान या बीमा

RAJIV GANDHI PARIWAR BIMA YOJNA

State Govt. is implementing Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojna .
Under this Scheme compensation is given in case of accidental death/
permanent disability.

- To all in the age group of 18-60 years, who are domicile of Haryana
- Whose name appears in the Voters list or hold Ration Card issued by the competent authority and
- Who are not income Tax Payee and Govt. employee.

Eligibility

- In Case of Accidental Death/ Permanent disability, total/partial disability compensation is provided:
- To all in the age group of 18-60 years;
- Domicile & resident of Haryana;
- Name should appear in the Voter's list; or holder of Ration Card; and
- Annual Income should not exceed Rs. 2.5 lac and
- Must not be a Government or Semi-Government employee.

Compensation

- Accidental Death / Permanent Disability Rs 1.00 lac
- Loss of two Limbs, two eyes, one limb and one eye Rs 50,000
- Loss of one eye or one limb Rs 25,000

राजीव गाँधी परिवार बीमा योजना

हरियाणा सरकार राजीव गाँधी परिवार बीमा योजना लागू कर रहा है।
इस योजना के तहत दुर्घटना मृत्यु/स्थायी दिव्यांगता के मामले में मुआवजा दिया जाता है।

- 18-60 वर्ष के आयु वर्ग में सभी, जो हरियाणा के अधिवास (निवासी) हैं।
- जिनका नाम मतदाता सूची में दिखाई देता है या जो राशन कार्ड धारक हैं।
- सक्षम प्राधिकारी आयकर दाता और सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

पात्रता

- दुर्घटना में मृत्यु/स्थायी दिव्यांगता, पूर्ण/आंशिक दिव्यांगता मामले में मुआवजा प्रदान किया जाता है।
- 18-60 वर्ष की आयु के सभी लोगों के लिए:
- डोमिसाइल और हरियाणा के निवासी
- मतदाता की सूची में नाम दिखाई देना चाहिए, या राशन कार्ड धारक हों
- वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

नुकसान की भरपाई

- दुर्घटना मृत्यु/स्थायी दिव्यांगता 1.00 लाख रुपये
- दो अंगों की हानि, दोनों आँखें, एक अंग और एक आँख 50,000 रु०
- एक आँख या एक अंग का नुकसान 25,000 रु०

UNIQUE DISABILITY IDENTIFICATION CARD

UDID card is a Unique ID for Persons with Disabilities. It is a single document for identification and verification of a disabled person to access various benefits. The card contains all necessary details about a disabled person and bypasses the need for carrying multiple documents. The Department of Empowerment of Persons with Disabilities initiated the UDID project to encourage transparency, efficiency, ease of delivering the government benefits to the person with disabilities and also to ensure uniformity.

Who can apply for a UDID card?

All Person with Disability/Disabilities can apply for it. Here are the procedure and guidelines on how you can apply online for fresh UDID Card.

1. Visit UDID Web Portal and click on the register link to Register.

Four types of details are required:

- Personal Details including Address
 - Disability Details
 - Employment Details
 - Identity Details
2. Using PwD logs credentials click on Apply online for Disability Certificate. (Reads instructions and enter the required details).
 3. After entering details upload a colour passport photo and other requisite documents. (Identity Proof, Income Proof, SC/ST/OBC proof etc as per requirement)
 4. Submit all the data to the CMO Office/Medical Authority for verification.
 5. The CMO Office/Medical Authority will verify all your data.
 6. After verification, the CMO Office/Medical Authority will assign the concerned specialist(s) for assessment.
 7. Specialist Doctor assesses disability of PwD and gives an opinion on disability.

यूडीआईडी कार्ड

यूडीआईडी कार्ड दिव्यांगजन के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र है। यह विभिन्न लाभों का उपयोग करने के लिए दिव्यांग व्यक्ति की पहचान और सत्यापन के लिए एक एकल दस्तावेज है। इस कार्ड में एक दिव्यांग व्यक्ति के बारे में सभी आवश्यक विवरण होते हैं और कई दस्तावेजों को ले जाने की आवश्यकता को दरकिनारा कर देते हैं। दिव्यांग जन के लिए सशक्तिकरण विभाग ने पारदर्शिता, दक्षता, दिव्यांग जन को सरकारी लाभ पहुँचाने में आसानी और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए यूडीआईडी परियोजना शुरू की है।

यूडीआईडी कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

सभी दिव्यांग व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ प्रक्रिया और दिशा निर्देश दिये गए हैं कि आप यूडीआईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं।

- 1.) यूडीआईडी वेब पोर्टल पर जाएं और रजिस्टर लिंक पर क्लिक करें।

चार प्रकार के विवरण आवश्यक है :

- पता सहित व्यक्तिगत विवरण
 - दिव्यांगता विवरण
 - रोजगार का विवरण
 - पहचान का विवरण
- 2.) PwD लॉग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें।
 - 3.) विवरण दर्ज करने के बाद रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
 - 4.) सभी डेटा को सत्यापन के लिए CMO ऑफिस/मेडिकल अथॉरिटी को भेजें।
 - 5.) CMO ऑफिस/ मेडिकल अथॉरिटी आपके सभी डेटा को सत्यापित करेगा।
 - 6.) सत्यापन के बाद, CMO कार्यालय/चिकित्सा प्राधिकरण मूल्यांकन के लिए संबंधित विशेषज्ञ को नियुक्त करेगा।
 - 7.) स्पेशलिस्ट डॉक्टर PwD की दिव्यांगता का आकलन करते हैं और दिव्यांगता पर एक राय देते हैं।

- 8: Medical Board reviews the case and assigns disability percentage. CMO Office prepares Disability Certificate and generates UDID and Disability Certificate.
9. UDID datasheet goes for UDID Card printing and the UDID card will be delivered by post at the address mentioned during online registration.

Once applied, you can check the status of the application by clicking on UDID Card Status on the website mentioned above.

Document required with the online application

- Scanned copy of the recent colour photo.
- Scanned image of signature (Optional)
- Scanned copy of Address Proof (Aadhar/Driving License/State Domicile etc)
- Scanned copy of Identity Proof (Aadhar Card/PAN Card/Driving License etc)
- Scanned copy of Disability Certificate (Only for those Persons with Disability who have been issued disability Certificate is by the competent Authority)

- 8.) मेडिकल बोर्ड मामले की समीक्षा करता है और दिव्यांगता प्रतिशत प्रदान करता है। सीएमओ कार्यालय दिव्यांगता प्रमाण पत्र तैयार करता है और यूडीआईडी और दिव्यांगता प्रमाण पत्र तैयार करता है।
- 9.) UDID डेटा शीट UDID कार्ड प्रिंटिंग के लिए जाती है और UDID कार्ड आनलाईन पंजीकरण के दौरान बताए गए पते पर डाक द्वारा पहुँचाया जाएगा।

एक बार आवेदन करने के बाद आप उपर्युक्त वेबसाइट पर यूडीआईडी कार्ड स्थिति पर क्लिक करके आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते हैं।

ऑनलाईन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज

- हालिया रंगीन फोटो की स्कैन की गई कॉपी।
- हस्ताक्षर की स्कैन की गई छवि (वैकल्पिक)।
- पता प्रमाण (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/राज्य अधिवास आदि) की स्कैन की गई प्रति।
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/राज्य अधिवास आदि) की स्कैन की गई प्रति।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जिन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त है)

NIRAMAYA (Health Insurance Scheme)

About the Scheme

1. Affordable Health Insurance to PwDs.
2. Health insurance cover of up to Rs. 1.0 lakh.
3. Facility for OPD treatment including the medicines, pathology, diagnostic tests, etc, Regular Medical checkup for non-ailing disabled, Dental Preventive Dentistry, Surgery to prevent further aggravation of disability, Non- Surgical/ Hospitalization, Corrective Surgeries for existing Disability including congenital disability, Ongoing Therapies to reduce impact of disability and disability related complications, Alternative Medicine.
4. Transportation costs.
5. No pre-insurance medical tests required.

Scheme Description

The scheme envisages delivering comprehensive cover which will

- Have a single premium across age band
- Provide same coverage irrespective of the type of disability covered under the National Trust Act
- Insurance cover upto Rs.1.0 lakh , on reimbursement basis only.
- All persons with disabilities under the National Trust Act with valid disability certificate will be eligible and included.
- No pre-insurance medical tests
- Treatment can be taken from any hospital.
- It is only for Four types of Disabilities :
 1. Cerebral Palsy
 2. Intellectual Disability
 3. Autism Spectrum Disorder
 4. Multiple Disabilities

निरामया (स्वास्थ्य बीमा योजना)

योजना के बारे में

1. PwDs के लिए किफायती स्वास्थ्य बीमा ।
2. 1,00,000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर ।
3. ओपीडी उपचार के लिए दवा, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक परीक्षण आदि के लिए सुविधा, गैर-बीमार दिव्यांगों के लिए नियमित मेडिकल चेकअप, डेंटल प्रिवेन्टिव डेंटिस्ट्री, दिव्यांगता को और बढ़ने से रोकने के लिए सर्जरी, गैर-सर्जिकल/अस्पताल में भर्ती, मौजूदा दिव्यांगता के लिए सुधारात्मक सर्जरी सहित। जन्मजात दिव्यांगता, दिव्यांगता और दिव्यांगता संबंधी जटिलताओं, वैकल्पिक चिकित्सा के प्रभाव को कम करने के लिए चल रहे उपचार ।
4. परिवहन लागत
5. पूर्व-बीमा चिकित्सा परीक्षणों की आवश्यकता नहीं

योजना का विवरण

इस योजना में व्यापक कवर देने की परिकल्पना की गई है जिसमें :-

- प्रत्येक आयु बैंड में एक ही प्रीमियम हैं ।
- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत कवर की गई दिव्यांगता के प्रकार के बावजूद एक ही कवरेज प्रदान करें ।
- केवल प्रतिपूर्ति आधार पर 1 लाख रुपये तक का बीमा कवर
- वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत सभी दिव्यांग व्यक्ति पात्र और शामिल होंगे ।
- कोई पूर्व-बीमा चिकित्सा परीक्षण नहीं
- उपचार किसी भी अस्पताल से लिया जा सकता है । ये केवल चार तरह की दिव्यांगताओं के लिए हैं:
 1. सेरेब्रल पाल्सी
 2. बौद्धिक दिव्यांगता
 3. स्वपरायणता
 4. बहु दिव्यांगताएँ

**NIRAMAYA' HEALTH INSURANCE SCHEME
REVISED BENEFIT CHART**

ON REIMBURSEMENT BASIS ONLY (W.E.F. APRIL, 2015)				
SECTION	SUB-SECTION	DETAIL	SUB LIMIT	OVER ALL LIMIT OF SECTION
I	Over all Limit of Hospitalization			70,000/-
	A	Corrective Surgeries for existing Disability including congenital disability	40,000/-	
	B	Non- Surgical/ Hospitalization	15,000/-	
	C	Surgery to prevent further aggravation of disability	15,000/-	
II	Overall Limit for Out Patient Department (OPD)			14,500/-
	A	OPD treatment including the medicines, pathology, diagnostic tests, etc.	8,000/-	
	B	Regular Medical checkup for non-ailing disabled	4,000/-	
	C	Dental Preventive Dentistry	2,500/-	
III	Ongoing Therapies to reduce impact of disability and disability related complications			10,000/-
IV	Alternative Medicine			4,500/-
V	Transportation costs			1,000/-
OVERALL LIMIT OF THE COVERAGE FOR A PERSON				1,00,000/-

निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना का संशोधित लाभ चार्ट

केवल प्रतिपूर्ति के आधार पर (W.E.F. April 2015)				
खंड	उप-खंड	विवरण	सब सीमा	सेक्शन की सीमा से बाहर है।
I	अस्पताल में भर्ती होने की सभी सीमा से अधिक			70,000/-
	A	जन्मजात दिव्यांगता सहित दिव्यांगता के लिए सुधारात्मक सर्जरी	40,000/-	
	B	गैर-सर्जिकल/अस्पताल में भर्ती	15,000/-	
	C	दिव्यांगता को और बढ़ने से रोकने के लिए सर्जरी	15,000/-	
II	आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) के लिए कुल सीमा			14,500/-
	A	दवाओं, विकृति विज्ञान, नैदानिक परीक्षण आदि सहित ओपीडी ट्रीटमेंट	8,000/-	
	B	गैर बीमार दिव्यांग के लिए भी नियमित चिकित्सा जाँच	4,000/-	
	C	डेंटल प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री	2,500/-	
III	दिव्यांगता संबंधी जटिलताओं के प्रभाव को कम करने के लिए लगातार थेरेपी			10,000/-
IV	वैकल्पिक चिकित्सा			4,500/-
V	परिवहन लागत			1,000/-
एक व्यक्ति के लिए कवर की निर्धारित सीमा				1,00,000/-

Useful Links

- **National Trust:**
<http://www.thenationaltrust.gov.in/>
- **Rehabilitation Council of India (RCI) :**
<http://www.rehabcouncil.nic.in/>
- **Ministry of Labour and Employment:**
<http://labour.nic.in/>
- **Ministry of Human Resource Development (MHRD) :**
<http://mhrd.gov.in/>
- **Ministry of Social Justice & Empowerment (MSJE) :**
<http://socialjustice.nic.in/>
- **National Education Policy**
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- **Ministry of Education**
<https://www.education.gov.in>
- **Haryana Government :**
<http://haryana.gov.in/>
<https://haryanacmoffice.gov.in/social-justice-empowerment>
- **NGOs in Haryana**
<http://www.ngodetails.com/2017/08/ngos-in-haryana-list-address-details.html>
- **1st country report on the status of Disability in India**
<http://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/First%20Country%20Report%20Final.pdf>
- **Rights of Persons with Disabilities Act, 2016**
<http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWD%20ACT%202016.pdf>
- **Punarbhava – web portal on disability and rehabilitation**
<http://digitalknowledgecentre.in/listings/punarbhava-web-portal-on-disability-and-rehabilitation/>
- **Blindness and vision impairment**
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>

अधिक जानकारी के लिए, कृपया सम्पर्क करें


विश्वास
vishwas

Vision for Health Welfare and Special Needs

**Sector- 46, Near Unitech Cyber Park,
Arya Samaj Road**

Jal Vihar, Gurugram-122002 Haryana

Phone: 0124-2580323

www.vishwasindia.org

Email: vishwas.nj@gmail.com

Toll Free Helpline No. : 1800 180 4646